आई एस एस एन 0970–8006

लघु उद्योग समाचार
LAGHU UDYOG SAMACHAR

ISSN 0970-7999

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

अगस्त / August, 2009

मूल्य : 15 रुपये / Price : Rs. 15

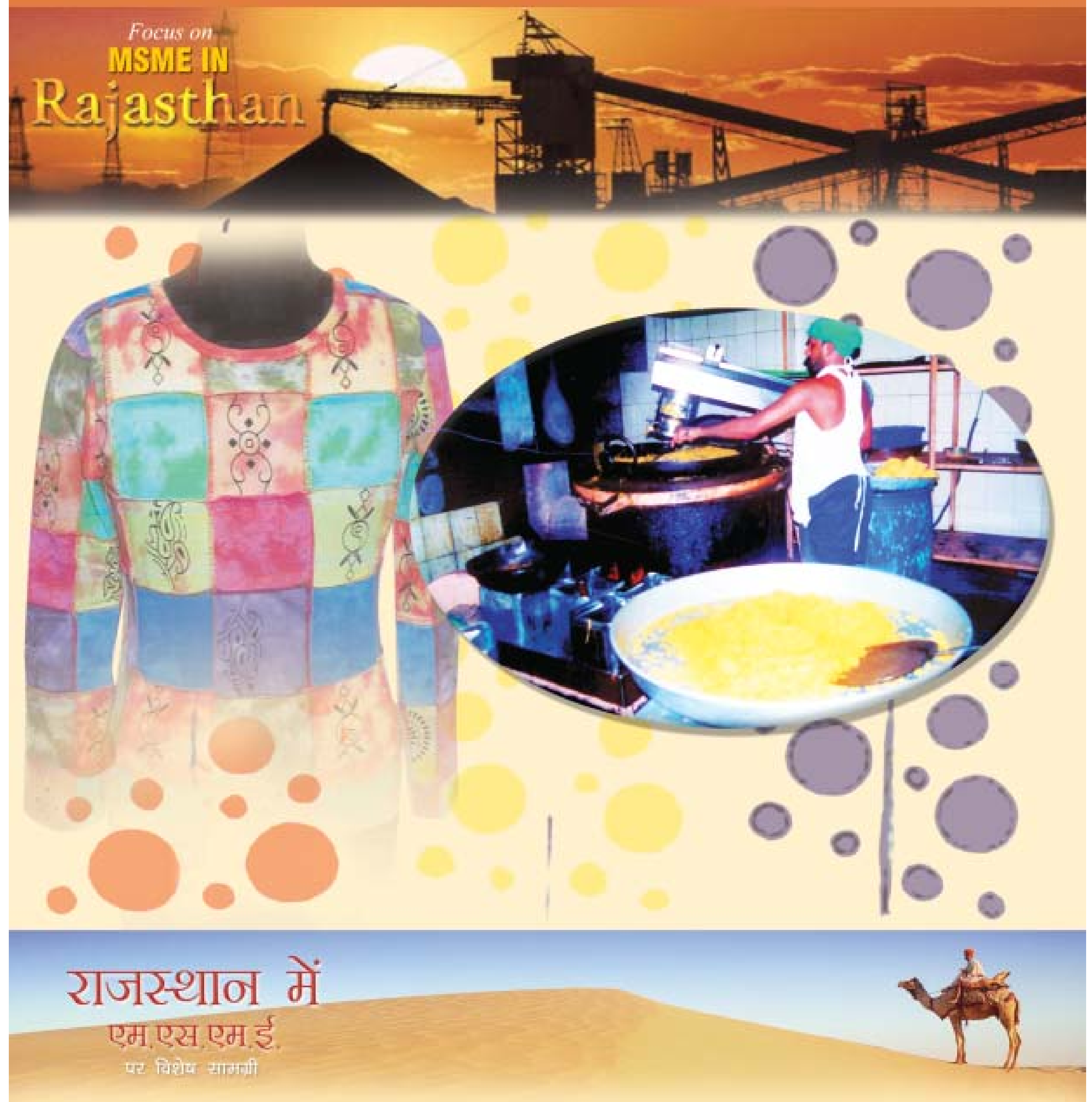

Shri Dinesh Rai, Secretary, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India addressing the Conference of SME Exchange: Challenges & Opportunities organised by CII in New Delhi on July 16, 2009. Shri Madhav Lal, Additional Secretary and Development Commissioner, Government of India (extreme right) was also present in the conference.

Chief Guest Shri Madhav Lal, Additional Secretary & Development Commissioner, Government of India addressing the 5th annual function of Okhla Garment and Textile Cluster in New Delhi on July 3, 2009.

आई एस एस एन 0970–8006

ISSN 0970-7999

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का जर्नल

लघु उद्योग समाचार

LAGHU UDYOG SAMACHAR

A Journal for Micro, Small & Medium Enterprises

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन

A PUBLICATION OF DEVELOPMENT COMMISSIONER (MSME)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES, GOVERNMENT OF INDIA

वर्ष 35 अंक 01 Volume XXXIV No. 01 मूल्य : 15 रुपये/Price : Rs. 15 अगस्त, 2009 August, 2009

Editorial Advisory Board

Chairman : Madhav Lal
Additional Secretary & Development Commissioner (MSME)
Vice Chairman : K.S. Ludu
Additional Secretary & Development Commissioner

Members

Praveen Mahto
Additional Economic Advisor
Devashish Bandhyopadhayay
Director (IC & CD)
Deputy Secretary (Ministry of MSME)
Harish Anand
Senior Editor
Harendra Pratap
Editor

Editorial Team

K.S. Ludu
Editor-in-Chief

Harish Anand
Senior Editor

Harendra Pratap
Editor

अनुदेश

प्रकाशन के लिए सामग्री डबल स्पेस में स्वच्छ टाइप की हुई तीन प्रतियों में होनी चाहिए। समारोह, घटना आदि के सम्पन्न होने के पश्चात रिपोर्ट तुरन्त ही भेज देनी चाहिए। आलेख/रिपोर्ट के साथ यथासंभव फोटोग्राफ भी भेजे जाने चाहिए, जिनमें चित्र को पत्र के साथ जैमक्लिप लगाकर भेजना चाहिए। फोटोग्राफ में अधिक ध्यान घटना या उत्पाद विशेष आदि पर दिया जाना चाहिए न कि व्यक्ति विशेष पर।

सूचनाओं के सही और विश्वसनीय प्रकाशन में यथासंभव सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी भूल, गलती, त्रुटि या विलोपन के लिए **लघु उद्योग समाचार** पत्रिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। **लघु उद्योग समाचार** जर्नल में प्रकाशित समाचारों, तस्वीरों तथा दृष्टिकोणों से **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** तथा **सरकार** की सहमति होना आवश्यक नहीं है।

Instructions

The material for publication should be sent, in triplicate, neatly typed in double space. The reports on functions or events should be sent immediately after its conclusion. Articles/ Reports should be accompanied by photographs with captions pasted upon reverse. The photographs should be placed in between the thick paper, gem clipped and attached to the forwarding letter. Photographs should be focussed more on the events or products than personalities.

All efforts have been made to ensure that the information published is correct and reliable. However the **Laghu Udyog Samachar** journal holds no responsibility for any inadvertent error, commission or omission. Opinions, photographs and views published in **Laghu Udyog Samachar** journal do not necessarily reflect the views of **Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises** or **Government.**

Editorial Office : **Advertising & Publicity Division,** Office of the Development Commissioner (MSME), Nirman Bhavan, New Delhi-110108, Phone & Fax : 011-23062219

Published by : Development Commissioner (MSME), Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Govt. of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110108

Contents

अनुक्रम

Highlights

- Prime Minister to give National Awards to Micro, Small & Medium Enterprises 3
- Budget : Measures relating to MSME Sector 3

Article

- Global Economic Crisis and Challenges to Micro, Small & Medium Enterprises 4

Feature

- Micro, Small & Medium Enterprises Development Institute, Jaipur 8
- Agro & Food Industy in Rajasthan 9

Policy

- Policy Package for Micro, Small & Medium Enterprises 10

State Profile 15

Calendar 17

Events 19

News 20

Media: News & Views 22

साक्षात्कार

- राजेंद्र पारीक, उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार 24
- मनोहर कांत, उद्योग आयुक्त, राजस्थान सरकार 26

सफलता की कहानी

- मददगार सिद्ध हुआ—एमएसएमई विकास संस्थान जयपुर 29

फीचर

- एमएसएमई विकास संस्थान, जयपुर की नीतियां व कार्यक्रम 30

सफलता की कहानी

- जयपुर विकास संस्थान का प्रशिक्षण कार्यक्रम बना प्रेरणा स्रोत 33

बजट

- लघु एवं मध्यम उद्यमों के परिप्रेक्ष्य में बजट का विश्लेषण 34

अपना हाथ जगन्नाथ

- कैसे लगायें अपना उद्योग? 39

समाचार

- पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि 40

लघु उद्योग समाचार अब मासिक

सभी पाठकों, लेखकों, उदीयमान उद्यमियों और एम.एस.एम.ई. (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र से जुड़े लोगों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) के कार्यालय से प्रकाशित लोकप्रिय द्विभाषी पत्रिका लघु उद्योग समाचार एक अंतराल के बाद जुलाई, 2009 से मासिक रूप में प्रकाशित हो रही है।

'लघु उद्योग समाचार' के सामान्य अंक की एक प्रति का मूल्य 15 रुपए और विशेषांक का मूल्य 20 रुपए है, जबकि वार्षिक मूल्य 200 रुपए है। वार्षिक शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में सीधे **प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, नई दिल्ली-110054** को भेजा जा सकता है। पत्रिका नकद भुगतान पर प्रकाशन नियंत्रक कार्यालय के विभिन्न बिक्री केंद्रों से भी खरीदी जा सकती है।

पाठकों-लेखकों से अनुरोध है कि इस मासिक को सफल बनाने में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएं और इसे लक्षित समूह के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव इस पते पर भेजें :-

वरिष्ठ संपादक/संपादक,
लघु उद्योग समाचार,
विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई) कार्यालय,
भूतल (प्रवेश द्वार 4 व 5 के बीच),
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110 108
दूरभाष संख्या : 011-23062219 फैक्स : 011-23062219

Prime Minister to give National Awards to Micro, Small & Medium Enterprises

The Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) is organizing the National Award Function for the Micro, Small & Medium Enterprises. Prime Minister Dr. Manmohan Singh will be the Chief Guest and present the National Awards to the successful MSMEs and the Banks on this occasion. Shri Dinsha J. Patel, Minister of State (IC) (MSME) will preside over the function. The National Awardees include successful entrepreneurs in the MSME sector, Khadi and Village Industries and coir sector under different categories. There are also Special Awards for women, SC/ST and the entrepreneurs from North Eastern Region. Awards will also be presented to those Banks that have excelled in lending to the MSE sector.

The Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises presents National Awards yearly for Entrepreneurship, Research & Development and quality consciousness to outstanding, MSME with a view to recognise their effort and contribution. The First National Award and Special Awards for women, SC/ST and North East Region categories consist of Rupee one lakh in cash, a certificate and a trophy. The Second National Award consists of a cash prize of seventy five thousand rupees, a certificate and a trophy while the Third National Award consists of Rupees fifty thousand in cash, a certificate and a trophy.

Budget 2009-10

Measures relating to MSME Sector

- Interest subvention of 2% on pre-shipment credit for 7 employment-oriented export sectors (including MSMEs) extended from 30th September, 2008 to 31st March, 2010. This would help in increasing exports from this sector.
- To facilitate flow of credit at reasonable rates, Rs.4000 crore provided as special fund out of Rural Infrastructural Development Fund to SIDBI. This will incentivise Banks and SFCs to lend to MSEs by refinancing 50% of incremental lending to MSEs during the current financial year.
- Fringe Benefit Tax on the value of certain fringe benefits provided by employers to their employees abolished. This would lower the tax of MSMEs as well as lower their compliance burden.
- Scope of presumptive taxation extended to all small businesses with a turnover of Rs.40 lakh. All such taxpayers to have option to declare their income from business at the rate of 8% of their turnover and simultaneously enjoy exemption from the compliance burden of maintaining books of accounts. This would reduce the compliance burden of small taxpayers as well as facilitate their business operation.

ARTICLE

Global Economic Crisis and Challenges to Micro, Small & Medium Enterprises

The downfall of the economy has affected the economic growth adversely. Though the Indian economy has certain positive aspects, yet it is a challenging time during the recession phase of the economy. The micro, small and medium enterprises that have an important role in the economy have also been experiencing the resonance of the impact. Though there is no readily available data in this regard, yet it is the phase these enterprises need to introspect on the ways and means of their working for improving and maintaining their competitiveness not only at the national level but also at the global level. The article highlights some of these areas to be concentrated upon.

Dr. Om Prakash Mehta
Director (Planning),
O/o DC (MSME),
Nirman Bhavan, New Delhi

Present Economic Scenario

The Global economic crisis has affected the Indian economy adversely. Economic growth decelerated in 2008-09 to 6.7 per cent. This represented a decline of 2.1 per cent from the average growth rate of 8.8 per cent in the previous five years (2003-04 to 2007-08). It has impacted the growth of industry, trade sectors as well as the services sectors too. The export-oriented industries, suffered during the second half of the year drastically.

The economy continues to face wide-ranging challenges of improving social and physical infrastructure to enhancing productivity in every field of activity. The growth of the agriculture sector is also expected to be retarded in the wake of late monsoon. Though there are some favourable indicators to the Indian economy like financially sound position of banks, comfortable position of foreign exchange reserves and external debt and inflation being under well control for the time being, but it will require all out efforts by the various actors of the economy to swing back it into overall comfortable position. In one sense the downturn of the economy has given an opportunity to the various stakeholders to improve continuously their economic activities not only at intra firm or organization level but also at the national and global level.

The adverse effect of the global financial crisis was also felt on the export sector, mainly because of two reasons - Drying up of international financing and trade credit and a fall in global demand. During 2008-09, the growth in exports was robust till August 2008 but turned negative in October 2008 and remained negative till the end of the financial year. For the year as a whole, the growth in merchandise exports during 2008-09 was 3.6 per cent in US dollar terms and 16.9 per cent in rupee terms (compared to 28.9 per cent and 14.7 per cent respectively in

2007-08). The large difference in growth in terms of the US dollar and in terms of the rupee was on account of the depreciation of rupee vis-à-vis US dollar during the year. 1.58 During the period (April-February) in 2008-09, the main drivers of exports growth were engineering goods and chemicals and related products.

Challenges for MSME

The micro, small and medium enterprises (MSMEs) have an important place in the Indian economy and the downfall in the economy will affect this sector as well. It is the crucial phase that demands that the entrepreneurs should focus more on the survival and development of their enterprises. In fact the problems of over production with low marketability and export have necessitated increased attention to pay in MSME sector with the ongoing global crisis, which need a focused attention by the entrepreneurs at intra firm level. The entrepreneur needs to focus on ways and means for not only to reverse the negative effect of the crisis in short run but also chalk out the long-term plan to meet the challenges of the coming time from manufacturing to marketing in an integrated manner.

The challenges of competitiveness in IT including internet, Computer based technology, productivity, quality, non-conventional methods of production in manufacturing, easy and timely availability of finance/credit at reasonable rate of interest, marketability of products indigenous and global market are some of the important challenges for the entrepreneurs to deal with professionally for the survival. The enterprises need to work on emerging technologies and converging technologies. These are terms used to cover various cutting-edge developments in the emergence and convergence of technology. Emerging technologies are those which represent new and significant developments within a field; converging techologies represent previously distinct fields which are in some way moving towards stronger inter-connection and similar goals.

The National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) was set up in September 2004 by the government to provide a continuing forum for policy dialogue to energize and sustain the growth of manufacturing industries in India. The NMCC in its report 'The National Strategy for Manufacturing' submitted to the government in March 2006 identified challenges being faced by Indian manufacturers and also recommended measures in consultation with different departments and industries.

Though, it is true that the micro and small enterprises are set up by the individual entrepreneur and Government does not provide any direct assistance to the entrepreneurs for setting up of units on one hand but on the other hand these schemes facilitate the setting up of enterprises and it is the entrepreneur who has to develop his techno-managerial skills and knowledge to take the gains of theses schemes professionally. The wide publicity and awareness of the available facilities and schemes have the multiplier effect in this regard.

National Level

The role of governance in the development and maintenance of infrastructure, education, industry, transport, agriculture, export growth, inclusive development, institutions building, upliftment of weaker sections and masses as social and welfare goals, improving the public services and delivery system, an effective and transparent administration and investments in pivotal areas of public importance is much important particularly in the situations of recession phase of the economy as these measures provide a conducive environment for revival of the economy. The government has announced a number of short and medium-term proposals towards revival of the economy in these sectors in its budget 2009-10 besides funding measures on existing schemes of various ministries. These indicate priority areas in the governance.

A number of measures have also been proposed on direct and indirect taxation and these are not specific service or industry wise. As the service sector apart from manufacturing has also been included in the *Micro, Small and Medium Enterprises Development Act* 2006, these provisions will have their impact in boosting the activities of the enterprises. Some of proposals on taxations are as under.

Direct Taxes

- Extension of Sun–set clauses for deduction in respect of export profits under Sections 10A and 10 B of the Income Tax Act by one more year for the financial year 2010-11.

- Abolishing of Fringe Benefit Tax on the value of certain fringe benefits provided by employers to their employees.
- Enhancement of scope of provisions relating to weighted deduction of 150% on expenditure incurred on in-house R&D to all manufacturing houses except for a negative list.
- Incentives for businesses by providing investments linked tax exemptions rather than profit linked exemptions.
- Increase of period allowed to carry forward the tax credit under Minimum Alternate Tax (MAT) from seven years to ten years and increase of MAT to 15% of book profit from 10%.
- Abolishment of Commodity Transaction Tax (CTT);
- Donations to electrol trusts allowed as a 100% deduction in the computation of the income of the donor;
- Non-taxation of anonymous donations received by charitable organizations to the extent of 5% of their total income or a sum of Rs. 1 lakh, whichever is higher.
- Scope of presumptive tax has been extended to all small businesses with a turnover upto Rs. 40 lakh;
- Tax holiday under Section 80-1B(9) of the Income Tax Act has been extended to natural gas.

Indirect Taxes

- Reduction of customs duty on LCD panels for manufacture of LCD televisions from 10% to 5%.
- Extension of full exemption from 4% special CVD on parts for manufacture of mobile phones and accessories for one year.
- Inclusion of five additional items in the list of specified raw materials / inputs imported by manufacturer-exporters of sports goods which are exempt from customs duty, subject to certain conditions.
- Expansion of the list of specified raw materials and equipment imported by manufacturer-exporters of leather goods, textile products and footwear industry which are fully exempt from customs duty, subject to specified conditions.
- Customs duty on unworked corals to be reduced from 5% to Nil.
- Customs duty on 10 specified life saving drugs/ vaccine and their bulk drugs to be reduced from 10% to 5% with Nil CVD (by way of excise duty exemption).
- Customs duty on specified heart devices, namely artificial heart and PDA/ASD occlusion device, to be reduced from 7.5% to 5% with Nil CVD (by way of excise duty exemption).
- Customs duty on permanent magnets for PM synchronous generator above 500 KW used in wind operated electricity generators to be reduced from 7.5% to 5%.
- Customs duty on bio-diesel to be reduced from 7.5% to 2.5%.
- Concessional customs duty of 5% on specified machinery for tea, coffee and rubber plantations to be reintroduced for one year, upto 06.07.2010.
- Customs duty on 'mechanical harvester' for coffee plantation to be reduced from 7.5% to 5%. CVD on such harvesters has also been reduced from 8% to Nil, by way of excise duty exemption.
- Customs duty on cotton waste to be reduced from 15% to 10%.
- Customs duty on wool waste to be reduced from 15% to 10%.
- Customs duty on rock phosphate to be reduced from 5% to 2%.
- CVD exemption on Aerial Passenger Ropeway Projects to be withdrawn. Such projects will now attract applicable CVD.
- Customs duty exemption on concrete batching plants of capacity 50 cum per hour or more to be withdrawn. Such plants will now attract customs duty of 7.5%.
- On packaged or canned software, CVD exemption to be provided on the portion of the value which represents the consideration for transfer of the right to use such software, subject to specified conditions.
- Customs duty on inflatable rafts, snow-skis, water skis, surf-boats, sail-boards and other water sports equipment to be fully exempted.

Central Excise Duties

- Excise duty rate of 4% maintained on items of Specified food items including biscuits, sharbats,

cakes and pastries; Drugs and pharmaceutical products falling under Chapter 30; Medical equipment; Certain varieties of paper, paperboard and articles thereof; Paraxylene; Power driven pumps for handling water; Footwear of RSP exceeding Rs.250 but not exceeding Rs.750 per pair; Pressure cookers; Vacuum and gas filled bulbs of RSP not exceeding Rs.20 per bulb; Compact Fluorescent Lamps and Cars for physically handicapped.

- Specific component of excise duty applicable to large cars/utility vehicles of engine capacity 2000 cc and above to be reduced from Rs. 20,000/- per vehicle to Rs.15,000 per vehicle.
- Excise duty on petrol driven trucks/lorries to be reduced from 20% to 8%.
- Excise duty on chassis of such trucks/lorries to be reduced from '20% + Rs.10,000' to '8% + Rs.10,000'.
- Excise duty on Special Boiling Point spirits to be reduced to 14%.
- Excise duty on naphtha to be reduced to 14%.
- Duty paid High Speed Diesel blended with upto 20% bio-diesel to be fully exempted from excise duties.
- The *ad valorem* component of excise duty of 6% on petrol intended for sale with a brand name to be converted into a specific rate. Consequently, such petrol would now attract total excise duty of Rs.14.50 per litre instead of '6% + Rs.13 per litre'.
- The *ad valorem* component of excise duty of 6% on diesel intended for sale with a brand name to be converted into a specific rate. Consequently, such diesel would now attract total excise duty of Rs.4.75 per litre instead of '6% + Rs.3.25 per litre'.
- The scheme of optional excise duty of 4% for pure cotton to be restored.
- Full exemption from excise duty to be provided on goods of Chapter 68 of Central Excise Tariff manufactured at the site of construction for use in construction work at such site.
- Excise duty exemption on 'recorded smart cards' and 'recorded proximity cards and tags' to be made optional. Manufacturers have the option to pay the applicable excise duty and avail the credit of duty paid on inputs.
- EVA compound manufactured on job work for further use in manufacture of footwear to be exempted from excise duty.
- Benefit of SSI exemption scheme to be extended to printed laminated rolls bearing the brand name of others by excluding this item from the purview of the brand name restriction.
- On packaged or canned software, excise duty exemption to be provided on the portion of the value which represents the consideration for transfer of the right to use such software, subject to specified conditions.
- Excise duty on branded articles of jewellery to be reduced from 2% to Nil.

Service Tax

- Exemption from service tax being provided to inter-State or intra-State transportation of passengers in a vehicle bearing 'Contract Carriage Permit' with specified conditions.
- Exemption from service tax (leviable under Banking and other financial services or under Foreign exchange broking service) being provided to inter-bank purchase and sale of foreign currency between scheduled banks.
- Two taxable services, namely, 'Transport of goods through road' and 'Commission paid to foreign agents' to be exempted from the levy of service tax, if the exporter is liable to pay service tax on reverse charge basis. However, present cap of 10% on commission agency charges is retained. Thus there would be no need for the exporter to first pay the tax and later claim refund in respect of these services.
- For other services received by exporters, service tax exemption to be operated through the existing refund mechanism based on self-certification of the documents where such refund is below 0.25 per cent of FOB value, and certification of documents by a Chartered Accountant for value of refund exceeding the above limit.
- Export Promotion Councils and the Federation of Indian Export Organizations (FIEO) to be exempted from service tax on the membership and other fees collected by them till 31st March 2010.

References

http://indiabudget.nic.in/es2008-09/esmain.htm
http://indiabudget.nic.in

FEATURE

Micro, Small & Medium Enterprises Development Institute, Jaipur

The Micro Small and Medium Enterprises Development Institute, Jaipur (formerly known as Small Industries Service Institute) was set up on 14th January, 1958 in order to provide impetus for promotion and development of Micro, Small & Medicum Enterprises in Rajasthan. Expertise is available in various disciplines like Mechanical, Metallurgical, Electrical/Electronics, Chemical/ Rubber/Plastics, Food, Glass & Ceramics, Leather & Footwear, Economic Investigation, Industrial Management & Training, Ancillary, Technology Resource Centre (TRC) & SENET etc. to guide the enrepreneurs.

The main functions of this Institute are:

- To facilitate interface between Central/State Govt. Departments and developmental functionaries for promotion of MSME.
- Technology Support Services
- Economic Information Services
- Management / Entrepreneurship Development Programmes / Skill Development Programme
- Industrial Motivational Programme
- Common facility service
- Marketing Support
- Dissemination of information and technical assistance/consultancy relating to biotechnology, IPR, Energy Conservation, ISO-9000, 2001, WTO Export Packaging, Barcoding, VSBK, Entrepreneurship clubs & B.S.D.P.
- Ancillary Development
- Sub-contracting Exchange
- Cluster Development
- Explore avenues for employment in rural and far-flung areas in the State

In addition to above, the Institute reorients its activities in accordance with the policy initiatives taken by the Ministry of MSME, Govt. of India from time to time for promotion and development of MSME.

Rajasthan has emerged as the largest State of Indian Union, covering an area of 3.42 lakh Sq. Kms., after the division of the State of Madhya Pradesh. It constitutes about 10.41 percent of the total area of the country and is situated in the north western part of the country sharing geographical boundaries with the State of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhy Pradesh and Gujarat. It also has a long international borders of 1,070 Kms. with Pakistan. It is a diverse State. The region to the west and north-west comprising 11 Districts spreading in 61.11 percent of the total area is either desert or desert which form the Great Indian "THAR" Desert. The State receives deficient rainfall and normally experiences drought conditions. Rich cultural and historical heritage of the State gives it the status of country's most attractive tourist destination. In respect of minor and major minerals combined, State enjoys the status of second richest states in the country. The state is the leading producer of oil seeds, spices, Guar and maize. High production of milk has resulted in rapid growth of organized modern dairy sector.

The results of oil exploration in the western thar region of the state have opened up new vistas for establishment of units based on the Petrochemical and allied products.

Potential Industries

Agriculture based	: Corn flake, Starch, Bread, Biscuits, Alcohol and Processed food, Guar Gum, Papad Bhujiya, Pulses and Spices.
Mineral Based	: Ceramics, Phosphate, Quartz & Celica based.
Identified Projects	: Agro/Livestock based, Ceramic, Chemicals, Drugs & Pharmaceuticals, Electronics electrical, rubber & plastic and textile

Thrust Industries

- Agro & Food Processing
- Automotive
- Textile, Leather
- Dyeing
- Gem & Jewellery
- Cement
- Information Technology
- Handicrafts
- Glass/Ceramics
- Tourism
- Wool

Clusters Identified and intervention under taken (MSE-CDP Scheme)

(1) Bearing & Bearing Components
(2) Wire & Cable
(3) Rolling Mills & Induction Furince
(4) Gem Cutting & Polishing
(5) C.I. Castings
(6) Readymade Garments
(7) Packaging Material
(8) Vertiver.

(Inputs from MSME–DI, Jaipur)

Agro & Food Industry in Rajasthan

Rajasthan has shown impressive progress in several areas like agricultural, horticultural and milk production besides harnessing of mineral resources, development of transport, communication and energy production. The Agro and Food Processing Sector has good potential for development and fast growth in the areas of solvent extraction of oil, oleo-resins (spices) orange & kinnow juice, malt extract, floriculture, garlic & onion powder, dehydrated vegetables and host of other food products. Sweets and namkeen, traditional snacks, have well known reputation not only in the country but also in overseas market and are being exported.

Besides there items, mushrooms, tomato processing industries based on ber, pomegranate, mango and herbal and medicinal plant based products have promising future in the State. Sheep & got meat, poultry and poultry products and non edible oil processing industries have good potential for export. The State Government is also taking interest in boosting Agro & Food based industries.

Following are Food & Agro commodities identified having scope in the State of Rajasthan.

(i) Garlic & Onion Powder
(ii) Seed Spices and Spice Oleo resins including Red Chilies
(iii) Dehydrated vegetables
(iv) Citrus fruit juice & other products
(v) Non edible oil like Rice bran, Castor, Neem, Jatropha, Jojoba etc.
(vi) Solvent extraction of edible oil
(vii) Aloevera juice, jelly & powder
(viii) Amla & Amla based products
(ix) Honey and Honey based products
(x) Ice cream & other milk based products
(xi) Pickles, Chutney, Jam etc.
(xii) Snack foods like Bhujia, Puffs etc.
(xiii) Sharbat & Aerated Water including Thandai
(xiv) Soya bean based products
(xv) Pappad & Mangodi
(xvi) Rice Milling
(xvii) Oil Mill (Mustard Oil) (Expeller/Kachchi Ghani)

The growth is comparatively slow. The industry needs infrastructural support for distribution and cold storage including cold chain and quality raw material and employment of latest processing technology for producing products for export market. If special attention is paid to this Sector, the industry can find place in map of Indian Food Industrial Map.

V.P. Sharma
Asstt. Director (Chem.) MSME-DI, Jaipur

Policy Package for Micro, Small & Medium Enterprises

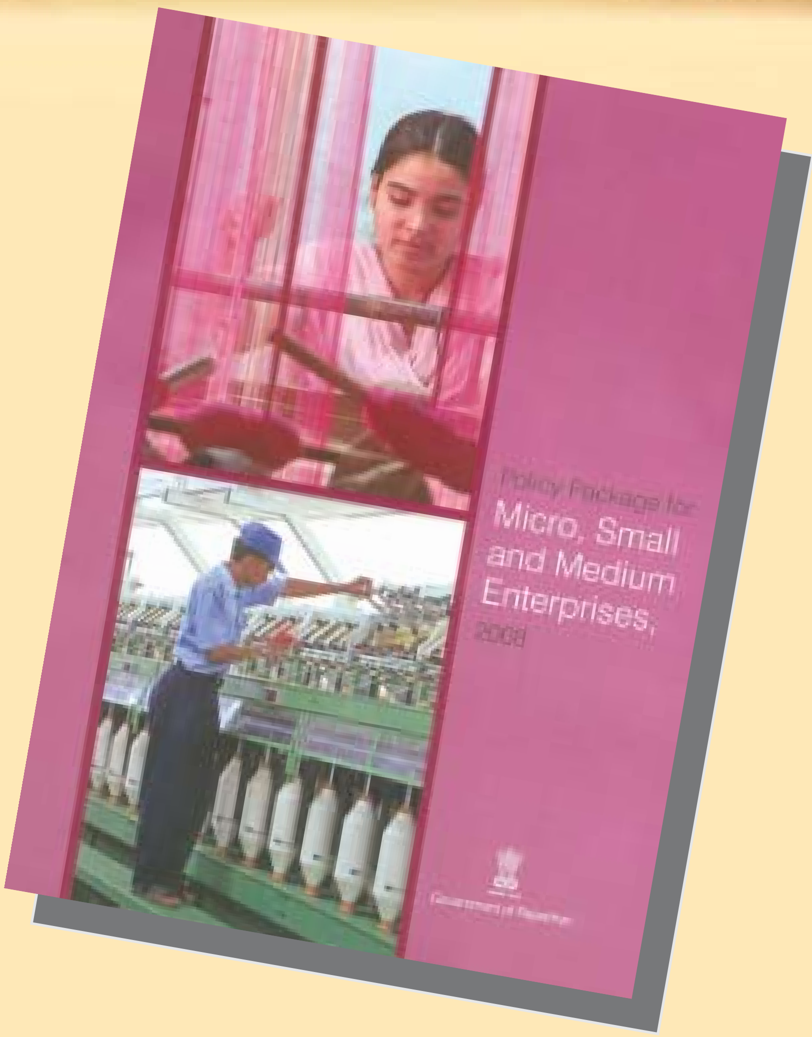

Preamble

Rajasthan is endowed with plenty of physical resources, agro-surplus and outstanding skills. These provide ample opportunities of manufacturing, beneficiation and processing activities in the Small Scale Sector, which has been the strength of the State. In the context of the State, this sector, particularly handicraft and handloom have distinct indentities and play a crucial role in the process of economic development by value addition, employment generation, equitable distribution of income, removal of regional disparities, as well as through export earnings. However, there remains a vast untapped potential which, through proper harnessing and nuturing, can be translated into huge gainful employment generation and manifold increase in contribution to the State's Gross Domestic Production.

It is the vision and endeavour of the State to graduate its micro, small and medium enterprises to globally competitive competence level. For this, the weakness and the threats are to be evaluated and a proper strategy needs to be formulated based on appropriate level and types of inputs and policy support.

To materialize this vision of the State and to achieve the desired goal, it will be imperative to reduce the transition and transaction costs supported by both, fiscal as well as non-fiscal incentives.

Approach and Strategy

The approach for policy initiatives and strategy adopted for the State would strive to develop the micro, small units in the state, except where specifically mentioned otherwise, to reduce transaction cost, develop essential infrastructure for SSI sector, particularly in the rural areas. It is also proposed to strengthen the institutional framework for improving quality of SSI products through R&D, district laboratories, BIS and ISO Certification. It supports research & development, compliance with pollution control measures, both at individual level as well as common level. The package also would facilitate setting up of national institution and reputed research & training institutions in the State.

The state would strive to encourage handloom units functions as cooperative bodies, to utilize services of agencies of national reputed and experience in cluster development to develop micro, small enterprises clusters; to provide appropriate support to geographically dispersed unique and individual enterprises; to facilitate micro, small enterprises, handicrafts and handloom units achieve optimum level of operation/productivity through

design and technological intervention, financial assistance, marketing support and procedural simplification so as to provide global market competence and competitiveness.

The strategy would include providing the assistance proposed in the policy package to the existing Micro and Small Scale Industry which possess acknowledgement of their Enterpreneurship Memorandum (EM) issued from the Industries Department. The Industries Department which has provided facility of e-filing of EM shall further encourage and promote this.

Institutional Support for Quality Improvement

In addition to any other grant given by Government of India, RIICO will provide land at 50% of capital cost for establishment of Common Effluent Treatment Plants (CETP)/facilities by industries associations of Micro, Small and Medium Enterprises in industrial areas/clusters. Operational/running/ maintenance cost of such plants and facilities will be borne by such industries associations. This support shall be initially provided to 10 such CETPs/ common effluent treatment facilities, subject to review thereafter.

The State Government shall bear 50% of the capital cost incurred by the Small & Medium Enterprises for establishment of effluent treatment plant/facility provided the unit uses 80% of the recycled water.

An industrial enterprise or R&D unit or testing laboratory filing and obtaining Patent/ISO Certification during the period between 1.4.2007 and 31.12.2011 will be provided reimbursement of the expenses incurred towards this, subject to a limit of Rs. 2.00 lac or 10 times of the fee, whichever is lower.

To encourage Micro, Small and Medium Enterprises/Handicrafts/Handloom units to attain international quality benchmarks, the State Government will endeavour to get regional officers/ branches of national laboratories like, CLIR, CFTRI, etc. established in the State. State Government will provide land at 50% of the DLC rates and also provide part of the capital cost for setting up such laboratories/institutions.

Research, development, and testing laboratories set up by Micro, Small & Medium Enterprises Associations will be given land at 50% of the DLC rates and may provide part of the capital cost incurred on establishment of such laboratories, subject to a limit of Rs. 2.00 crore, provided that such laboratories obtain accreditation from a national level Accreditation Board/Authority.

Strengthening of MSME Support Agencies

The State Government shall restructure Rajasthan Handloom Development Corporation, Rajasthan Rajya Bunker Sahkari Sangh Ltd, Rajasthan Small Scale Industries Corporation, Khadi and Village Industries Board, RUDA and other Companies/ Board/Societies under the industries Department to focus on their key development/commercial goals. The Government will restructure/write off the debt of these organization and consider additional infusion of equity so as to enable the re-structured organizations to carry their mandate without the baggage of past.

The Office of the Commissioner of Industries shall be restructured to facilitate greater focus and emphasis on the development of handloom and handicraft sectors and development of clusters of the Micro and Small Enterprises.

The State Government shall sponsor officials of the department for professional training in prestigious institutions/organizations like IIM, NID, NIFT, EDI, IRMA, etc.

Easy and Smooth Flow of Credit to MSMEs

To ensure easy and smooth credit flow to the artisans, the State Government will get at least 10,000 'Artisans Credits Cards' issued per year from different banks in the next five years.

Infrastructure Development

RIICO shall develop separate rural small industrial areas for Micro, Small and Medium Industry with 24 hours three-phase uninterrupted power supply and enabling infrastructure, viz. road connectivity, drainage system, street lighting, water supply, etc. in the potential growth areas to be identified by the State Government. Total area of such rural small industrial areas will be of at least 100 hectares with normal average plot size of 2,000 sq. metres and plots shall be allotted only to non-polluting industries. RIICO shall develop such areas on no-profit-no-loss basis. The State Government shall provide 10% subsidy to RIICO towards the capital cost.

30% plots will be reserved for Micro, Small and Medium Enterprises in new industrial areas to be developed by RIICO.

The State Government will encourage private sector investment for setting up industrial parks and clusters by providing level playing field vis-à-vis RIICO i.e., the private investors shall be allotted government land and provided help/assistance in acquisition of land on the same terms and conditions as are being provided to RIICO.

The State Government shall facilitate setting up of such parks and clusters by providing road, water supply, and power transmission lines (up to such areas) at the same terms as applicable to the RIICO areas.

The State Government will suitably augment 'Critical Infrastructure Fund' and 50% of this fund will be earmarked for infrastructural needs of the Micro, Small Enterprises clusters, such as providing road connectivity, power lines and water availability.

In addition to its regulatory functions, Pollution Control Board will also play an advisory and promotional role to facilitate MSMEs comply with pollution control norms.

Skill Training/H.R.D.

For ensuring availability of skilled manpower in the State, training institutes set up in the State by National/State level institutions, may be provided free land and 50% of the capital cost involved.

Fiscal Incentives to MSMEs

To facilitate setting up of MSMEs, the following concessions/incentives will be provided by the State Government:

- Exemption from Entry Tax on inputs (Raw materials, processing materials, packaging material except fuels).
- For Micro and Small industrial enterprises the CST shall be reduced to 0.25% only.
- Stamp duty chargeable on loan agreements and deposit of title deed and lease contract shall be reduced to Rs. 100 per document. Stamp duty chargeable for execution of simple mortgage either in cases when the possession of the properties not transfer to loanee or when possession of property is transferred to loanee shall be reduced to Rs. 500 per document.
- Exemption of 75% from Electricity Duty to the units located in rural areas. Rural areas mean areas outside the limits of Municipalities , Municipal Councils, Municipal Corporations, Urban Improvement Trusts and Urban Development Authorities.
- The tax structure applicable to the KVIB/KVIC registered units which was prevailing prior to introduction of Vat has been continued for all such units.
- A suitable arrangements shall be put in place for early refund/provisional payment of the due/ accruing because of difference between input VAT and selling CST/VAT on submission of undertaking by the registered micro/small enterprises.

Development of the MSMEs in Cluster

The State Government shall adopt cluster development approach and strategy for the development of Micro, Small and Medium

Enterprises. The basic aim of strategy and approach would be creating additional employment opportunities for at least 1 lac people over the next five years by addressing critical infrastructure gaps, creating production base of critical mass to ensure economy of scale so that the clusters become dynamical manufacturing hubs. Sectors, namely Handicrafts and Handlooms, Gems and Jewellery, Agro based/Food processing MSMEs, Leather and leather products including footwear, Textile and apparels, Stone Ceramics and pottery, Light Engineering and auto engineering shall be taken up on priority for development in clusters. 50 clusters in next five years shall be taken up for intervention based on the identified missing links, level of nature of required support in the field of infrastructure, capacity building of human resource, market development assistance and technology adoption and product diversification.

The State Government would act as a facilitator by way of providing part assistance to the clusters to help them tide over the critical bottleneck of lack of quality and adequate support infrastructure in the existing clusters. For the existing clusters as well as five new greenfields cluster specific parks shall be developed in the next five years with self-sufficient and good quality infrastructure to support the production system. Following activities shall be undertaken:

(a) Strengthening/creation of infrastructure in the existing clusters such as improvement of roads, water supply, sewerage/effluent clusters/ treatment/disposal, setting up industries specific common facility centres-cum-design/product display centres.

(b) Creation of infrastructure of power supply and approach road at the door step/Greenfield Cluster Park. The cost of internal infrastructure of the park such as roads, water supply, power supply effluent treatment common facility centre shall be shared by the enterprises of the park.

Marketing Support

The State Government shall continue to provide the following facilities for purchases of stores/services from micro and small enterprises registered/having Entrepreneur Memorandum, with the Industries Department by its various department, PSUs and autonomous bodies:

(a) Tender form shall be made available at 50% of the prescribed cost.

(b) Earnest money shall be deposited at 0.5% of the estimated value of purchase/services.

(c) Security deposit will be 1% of the value of the purchases/services.

(d) Following the procedure prescribed in GF&AR, even in cases where prices quoted against a tender by the small and micro enterprises located in Rajasthan are not found competitive as per applicable rules and the price of a tendering enterprise(s) from outside the State or from Large or Medium enterprises or from any other source, is adjudged lowest, the requirement of 60% of stores/services, as mentioned in the tender, shall be obtained from the micro or small enterprise(s) located in Rajasthan, rendering for the items/ services of purchase/hire, if, they agree to supply, at the adjudged lowest rate, provided the quality and standard and schedule of delivery and other terms and conditions, are same.

In cases of purchases through tenders, Rule 54 of GF&AR dealing with comparison of rates of firms outside and those in Rajasthan will be made applicable *mutatis mutandis* to State PSUs and Autonomous Bodies. As a result, all State PSUs/ Autonomous Bodies will also exclude the element of VAT from the rates quoted by Micro/Small enterprises of Rajasthan and will include the element of Central Sale Tax in the rates of firms outside Rajasthan. ■

(Facts and figures as published by the Commissioner of Industries, Government of Rajasthan, Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302 005, Rajasthan Phone: +91-141-2227796, + 91-141-2227051 Fax: +91-141-5106748)

Profile of Large & Medium Scale Insustries Up to 31.3.2009

Sl. No.	Name of District	Registered Units (Numbers)	Employment (Numbers)	Investment (Rs. in Lacs)
	AJMER DIVISION			
1.	Ajmer	9	4084	3025.82
2.	Tonk	6	1765	311.37
3.	Bhilwara	38	25068	3098.91
4.	Nagaur	3	430	189.87
	Total	**56**	**31347**	**6625.97**
	BHARTPUR DIVISION			
1.	Bharatpur	1	2735	81.35
2.	Dholpur	2	690	43.72
3.	Alwar	74	17561	6032.82
4.	Karoli	0	0	0.00
	Total	**77**	**20986**	**6157.89**
	BIKANER DIVISION			
1.	Bikaner	1	462	12.71
2.	Churu	1	35	11.67
3.	Hanumangarh	2	1476	22.09
4.	Sri Ganganagar	8	4262	5517.95
	Total	**12**	**6235**	**5564.42**
	JAIPUR DIVISION			
1.	Jaipur	27	7653	1394.15
2.	Dausa	0	0	0.00
3.	Jhunjhunu	2	3078	391.93
4.	Sikar	4	1593	124.14
	Total	**33**	**12324**	**1910.22**
	UDAIPUR DIVISION			
1.	Udaipur	23	8828	849.12
2.	Chittorgarh	7	5174	3139.92
3.	Rajsamand	3	3818	534.67
4.	Dungarpur	4	3628	287.10
5.	Banswara	7	11948	117.03
	Total	**44**	**33396**	**4927.84**
	JODHPUR DIVISION			
1.	Jodhpur	12	3406	660.63
2.	Pali	5	4175	1075.48
3.	Sirohi	8	4172	3930.81
4.	Jalore	2	133	13.87
5.	Barmer	0	0	0.00
6.	Jaisalmer	0	0	0.00
	Total	**27**	**11886**	**5680.79**
	KOTA DIVISION			
1.	Kota	12	6375	5283.19
2.	Bundi	4	2090	247.47
3.	Jhalawar	1	3535	343.28
4.	baran	2	292	731.94
5.	Sawai Madhopur	2	90	35.82
	Total	**21**	**12382**	**6641.7**
	G. Total	**270**	**128556**	**37508.83**

Profile of Micro & Small Industries

Year	Registration Numbers		Employment Numbers		Investment (Rs. in Lacs)	
	During the Year	Cumulative	During the Year	Cumulative	During the Year	Cumulative
1974-75	—	17872	—	123794	—	6222.51
1975-76	2210	20102	13377	137171	1014.78	7237.29
1976-77	2844	22946	19511	156682	1485.98	8723.27
1977-78	3396	26342	22251	178933	1091.35	9814.62
1978-79	4950	31292	24886	203819	2261.96	12076.58
1979-80	6853	38145	29278	233097	2483.81	14560.39
1980-81	9573	47718	37171	270268	6304.63	20865.02
1981-82	22404	70122	55685	325953	5763.54	26628.56
1982-83	18079	88201	44557	370510	6216.86	32845.42
1983-84	12880	101081	34123	404633	4853.36	37698.78
1984-85	12160	113241	32614	437247	5483.18	43181.96
1985-86	11298	124539	30686	467933	5599.95	48781.91
1986-87	6791	131330	20103	488036	4570.2	53352.11
1987-88	6082	137412	21087	509123	6939.41	60291.52
1988-89	5853	143265	20987	530110	8137.2	68428.72
1989-90	5088	148353	19377	549487	7723.87	76152.59
1990-91	4707	153060	21379	570866	9840.71	85993.3
1991-92	5192	158252	23719	594585	14188.54	100181.84
1992-93	4818	163070	21239	615814	14628.58	114810.42
1993-94	4330	167400	20665	636489	16867.77	131678.19
1994-95	4615	172015	22617	659106	18356.49	150034.68
1995-96	5592	177607	27460	686566	25693	175727.68
1996-97	8113	185720	34329	720895	27754.97	203482.65
1997-98	8100	193820	31780	752675	29816.03	233298.68
1998-99	8807	202627	36772	789447	34452.11	267750.79
1999-00	9094	211721	34487	823934	25258.26	293009.05
2000-01	9648	221369	33082	857016	18596.79	311605.84
2001-02	10075	231444	36865	893881	24459.92	336065.76
2002-03	9601	241045	33246	927127	21066.55	357132.31
2003-04	10448	251493	36348	963475	26391.72	383524.03
2004-05	11388	262881	43660	1007135	23416.72	406940.75
2005-06	12519	275400	47406	1054541	29728.93	436669.68
2006-07	15905	291305	96507	1151048	155192.90	591862.58
2007-08	13840	305145	83781	1234829	147925.87	739788.45
2008-09	14696	319841	81438	1316267	149032.25	888820.70

Note: In 2008-09 the total number of MSME registered units were 28536 (13840 in 2007-08 and 14696 in 2008-09 total 28536) since information was gathered from April 2007 after enacting the MSME Act, 2006

Profile of Micro & Small Industries Up to 31.3.2009

Sl. No.	Name of District	Registered Units (Numbers)	Employment (Numbers)	Investment (Rs. in Lacs)
1.	Ajmer	15909	74411	67746.22
2.	Alwar	23668	101802	157045.72
3.	Banswara	8344	22950	6674.81
4.	Baran	2225	6798	2515.41
5.	Barmer	5158	24689	12172.95
6.	Bharatpur	9502	35275	13294.11
7.	Bhilwara	16718	69858	40887.09
8.	Bikaner	12638	60728	43495.28
9.	Bundi	5005	16004	2767.60
10.	Chittorgarh	8311	28944	12692.68
11.	Churu	6654	26446	10164.98
12.	Dausa	4642	13441	2863.75
13.	Dholpur	2993	10318	7166.46
14.	Dungarpur	3488	11628	3138.13
15.	Hanumangarh	1859	9845	6223.98
16.	Jaipur	37829	213096	174075.58
17.	Jaisalmer	3522	10576	2640.49
18.	Jalore	4701	15210	9145.77
19.	Jhalawar	7176	19980	3767.80
20.	Jhunjhunu	6421	19649	5463.95
21.	Jodhpur	22074	101041	71521.82
22.	Karoli	1981	6358	1261.57
23.	Kota	14989	54556	35892.86
24.	Nagaur	19102	65577	39773.33
25.	Pali	12120	43558	12460.36
26.	Rajsamand	4783	16599	13318.13
27.	Sawai Madhopur	7550	22409	4094.22
28.	Sikar	7901	29874	10372.46
29.	Sirohi	5480	20330	15429.34
30.	Sri Ganganagar	9040	49110	19241.80
31.	Tonk	9380	37603	8128.54
32.	Udaipur	18678	77604	73383.51
	Total	**319841**	**1316267**	**888820.7**

(Source: **Commissioner Industries**, *Government of Rajasthan, Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302 005, Rajasthan Phone: +91-141-2227796, + 91-141-2227051 Fax: +91-141-5106748)*

Long Term Training Programmes by MSME Tool Rooms & Autonomous Bodies under DC (MSME)

Name of the Institute	Name of the Programme	Duration	Intake Capacity	Eligibility	Commencement Date/Month
Indo German Tool Room, Plot No.5003, Phase IV, GIDC, Mehmedabad Road, Vatva, Ahmedabad Website: www.igtrahd.com Contact: Fax 079- 25841962 Phone 079-25840964	Diploma in Tool & Die making (AICTE Approved)	4 years	60	10th pass with English subject	August every year
	Certificate in machinist Tool Room	2+1 years	40	10th pass with English subject	August every year
	Post Graduate Diploma in Tool Design & CAD/CAM	1 ½ years	20	Degree in Mechanical /Automobile / Plastic / Production engg.	August every year
	Post Diploma in Tool Design & CAD/CAM	1 year	20	Degree or Diploma in Mech./ Automobile/Plastic / Tool & Die making	August every year
	Post Diploma in CAD/CAM	1 year	20	Degree or Diploma in Mech. / Automobile / Plastic / Tool & Die making	August every year
	Master of CAM & CNC Technology	6 months	25	Diploma in Mech. / Automobile / Plastic / Tool & Die making/ ITI with 2 years experience	Every alternate month starting from May
Indo German Tool Room P-31, MIDC, Chikalthana Indl. Area, Aurangabad 431 006 Website: www.igtr-aur.org Contact: Fax 0240-2484028 Phone 0240-2480578	Tool Design with Auto CAD (Die Casting)	4 weeks	20	Degree/Diploma in Engg.	31-08-2009
	Computer Hardware Maint. & Networking	12 weeks	20	12th Pass/Graduate	17-08-2009
	Hyper Mash (CAE)	3 weeks	20	Degree/Diploma in Engg.	17-08-2009
Indo German Tool Room Plot No.291/B O-302/A, Sector-E, Sanwer Road, Industrial Area, Indore 452 003 (MP) Website: www.igtr-indore.com Contact: Fax 0731-2720353 Phone 0731-2721463	Advance Diploma Tool & Die Making (LT)	4 years	For MSMEs	10th pass with 60%	August every year
	Certificate Course in Machinist Trade (LT)	2 years	For MSMEs	10th pass with 50%	August every year
	Pro-E	3 weeks	For MSMEs	12th Pass	7 Sept. to 26 Sept.
	Unigraphics	3 weeks	For MSMEs	12th Pass	7 Sept. to 26 Sept.
	Catia	3 weeks	For MSMEs	12th Pass	7 Sept. to 26 Sept.
	Auto CAD	2 weeks	For MSMEs	12th Pass	7 Sept. to 26 Sept.
Central Tool Room A-5, Focal Point Ludhiana 141 010 (Punjab) Website: www.igtr-indore.com Contact: Fax 0161-2674746 Phone 0161- 2670057	Computer Aided Drafting	60 hours	10-12	Degree/Diploma, ITI Mech. Trade or 10th	Every month
	Press machine Operator	2 weeks	20	8th pass	Every month
	Injection Moulding Machine Operator	2 weeks	20	8th pass	Every month
	Electrician	2 weeks	20	8th pass	Every month
Central Tool Room & Training Centre B-36, Chandka Indl. Area P.O. Patia Bhubaneswar 751 024 (Orissa) Website: www.cttcbbsr.co.in Contact: Fax 0674-2743061 Phone 0674-2742100	Condensed Course in Tool & Die Making (CCTDM)	1 year	20	10th pass	August every year
	Advance Diploma in Computer Hardware and Networking	6 months	For MSMEs	12th, Any Graduate, Diploma and Degree	every month
	Very Large Scale Integration (VLSI)	1 month	For MSMEs	Diploma / Degree in electrical, electronics	every month
	Advance Diploma in Machine Maintenance & Tutomation	6 months	24	Diploma / Degree in electrical	every six months

Long Term Training Programmes by MSME Tool Rooms & Autonomous Bodies under DC (MSME)

Name of the Institute	Name of the Programme	Duration	Intake Capacity	Eligibility	Commencement Date/Month
Indo Danish Tool Room M-4 (Part) Phase-VI, Tata Kandra Road, Gamharia Jamshedpur 832 108 (Jharkhand) Website: www.idtrjamshedpur.com Contact: Fax 0657- 2407723 Phone 0657-2200507	Certificate course on Draftmanship using AutoCAD	6 months	First Come serve basis	10th pass	11 Aug'09.
	Certificate course on Advance Welding Technology	6 months	First Come serve basis	10th pass	11 Aug'09.
	Office Management & Secretarial Practice	6 months	First Come serve basis	10th pass	11 Aug'09
	Certificate course in CNC Lathe	6 months	First Come serve basis	10th pass	11 Aug'09
Tool Room & Training Centre Amingaon Industrial Area, North Guwahati Road, Amingaon, Guwahati 781 031 Website: www.trtcguwahati.org Contact: Fax 0361-2654042 Phone 0361-2655542	CNC Technology	4 weeks	20	Diploma / Degree in Mechanical, production, Automobile engg.	01-09-2009 (every month)
Central Institute of Hand Tools) G.T. Road, Bye Pass, Jalandhar-144008 (Punjab) Website: www.ciht.in Contact: Fax 0181-2290457 Phone 0181-2290225	Training on CAD/ CAM	1 year	10	Diploma / Degree in Engg/ ITI	August every year
	Tool & Die Maker	6 months	10	8th / 10th /12th / ITI/ Diploma	August every year
	Fitter	6 months	10	8th / 10th /12th / ITI/ Diploma	August every year
Process and Product Development Centre Foundry Nagar, Agra-282006 (U.P) Website: www.ppdcagra.com Contact: Fax 0562-2344381 Phone 0562-2344381	Close die forging manufacturing practice	1 weeks	10	12th Pass	06-08-2009
	Forging die design & practice	1 weeks	10	12th Pass	06-08-2009
	S.G. Iron Manufacturing practice	1 weeks	10	12th Pass	13-08-2009
	Energy conservation in foundry & forging	1 weeks	10	12th Pass	13-08-2009
	Metallographic practice	1 weeks	10	12th Pass	20-08-2009
	Defect analysis of cast & forged components	1 weeks	10	12th Pass	20-08-2009
Electronics Service & Training Centre Kaniya, Ramnagar Dist. Nainital-244715 Uttarakhand Website: www.estcindia.com Contact: Fax 05947-251294 Phone 05947-251201	Electrician Trade Practice	1 year	60	10th with 6 month practical experience in electrical field / 12th	01-09-2009
	Electronics & Instrumentation Technician	1 year	25	ITI (Elect. / Electronics / Wireman) / Inter Science	01-09-2009
	Advance course in PCB Technology	1 year	10	Diploma in Elect./Elec. Engg./ B.Sc.	03-08-2009
	Advance course in Tool Engg.	1 year	12	Diploma in Mech./ Production/ Automobile Engg.	03-08-2009

Smt. D. Barva, Dy. Director, KVIC, Silchar addressing cluster actors in a meeting on Networking with Support Institution at Katakhal (Sital Pati Cluster, Katakhal) under MSE-CDP.

MSE-CDP at Sital Pati Cluster Katakhal, Dist. Hailakandi, Assam

Sital Pati Cluster-Katakhal is in a remote backward flood prone area of N.E. Region and the artisan members are in general from poor economic background comprising of Minority, SC and OBC communities. The activity involves murta cane growers, cane strip makers, women mat weavers and petty mat sellers. By weaving an unboiled sital pati a mat weaver was earning an average Rs. 20/- about an year ago (it normally takes 2 days-a total of min. 8 hrs.). The situation in this Cluster is of a stagnant one though the activity started about 150 years back in this area.

Br. MSME-DI, Silchar has taken up the MSE-CDP at Sital Pati Cluster-Katakhal. Under MSE-CDP, various types of activities have been initiated like Awareness and Sensitization Programme, Meeting on Networking with Support Institutions, Meeting on Strengthening Association, Workshop on Quality and Maintaining Specifications, Training for skill upgradation, etc. Organisations such as DI&CC, KVIC, NABARD, NECON, LDM, Bank, besides G.P. office bearers and once Dy. Commissioner, Hailakandi graced the programme.

In the mean time, services of Jute Diversified Service Center, Silchar is being utilized to make diversified Jute-Sital Pati composite products like bags, mobile phone covers, belts, ladies hand bags, purse, table mats, magazine holder, etc. They organized a series of programmes, viz. Awareness programme and Exhibition, basic Skill Development Training, Advanced Training and Design Development Programme at Katakhal. Thus a Cluster, traditionally, engaged in weaving only mats (sital pati), a few now engaged in making other products from it and presently supply to Mizoram, Meghalaya and through local dealers to other parts of the country as well. A women SHG is also formerly engaged in production of diversified sital pati products.

An MDP on marketing was also conducted and artisans were exposed to various topics by faculties from Assam University Silchar, EDP Cell-NIT Silchar, G.C. College, Silchar besides others to augment marketing of cluster products.

Meanwhile Katakhal Patikar Co-op. Ltd. has been proposed and accepted as the SPV for the Cluster. A proposal for a CFC in the Cluster is also under consideration and a report is being prepared. The Co-op. proposed to offer its land for the CFC at Katakhal as its contribution and seek generous central support considering the backwardness of the area. This year remuneration for weaving mats increased to Rs. 35-40 from Rs. 20 earlier and impact and share of MSE-CDP is being searched over this positive change.

A section of participants at Basic skill Devevlopment Training Programme for jute-sital Pati composite production at Sital Pati Cluster Katakhal under MSE-CDP.

Good Prospects Exist for a SME Stock Exchange - Dinesh Rai

Left to right Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Dr. K.P. Krishnan, Ministry of Finance, Additional Secretary & Development Commissioner (MSME), Government of India Shri Madhav Lal and Secretary (MSME), Shri Dinesh Rai on the occassion of conference on SME Exchange: Challenges and Opportunities on July 16, 2009 in New Delhi

The Confederation of Indian Industry (CII), in partnership with the Ministry of MSME organized a conference on SME Exchange: Challenges and Opportunities on July 16, 2009 at the India Habitat Centre, New Delhi which had participation from the Government, MSME associations, SME entrepreneurs and the stock exchanges.

Inaugurating the conference, Secretary (MSME), Shri Dinesh Rai said that despite the catalytic role that micro, small and medium enterprises (MSME) play in the development process, historical experience shows that Indian equity markets are averse to funding smaller and early stage businesses, while banks are selective and cautious in lending to them. They also do not have easy access to funds from Angel Investors, Venture Capitalists and Private Equity players. Hence, there is a need to develop a platform, which will provide cost effective solution to SMEs by reducing the IPO cost and without undervaluing the companies. A dedicated SME exchange will provide such a platform. He also mentioned that there is a world-wide trend towards expansion of capital markets and investment listings specially designed to serve the risk capital needs of SMEs. He observed that the growth in the Indian economy in the recent years has created a large pool of valuable SMEs in addition to a large interest of qualified investor interest in investing in SMEs. Therefore, good prospects exist for a SME platform. Keeping in view the large base of SMEs, it has the potential to become the largest alternate platform in the world.

Dr. K.P. Krishnan, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, emphasized on the public policy issues relating to risk capital raising of MSMEs and stressed on the need for strengthening the entire eco system before bringing the exchange activities to life.

Shri Jignesh Shah, Chairman CII Task Force on Indian Financial Markets strongly supported the need of risk capital for the fund starved MSME sector. He informed that there are about 10,000 SMEs ready to be listed and another 10-20% of SMEs can be made ready for listing soon.

Additional Secretary and Development Commissioner (MSME), Shri Madhav Lal chaired the Panel Discussion and Interactive Session during which viewpoints of various stakeholders were discussed. Issues like whether the new exchange should be an independent exchange or as a platform at the existing exchange, minimum size of the IPO and capital base, need for specialized merchant bankers and market makers, provision of hand holding like the NOMADS at the AIM exchange, measures to increase liquidity of the issues, mechanism like the erstwhile Controller of Capital Issues for pricing of these issues, rating of SMEs etc. were discussed. Summing up the discussions, AS&DC (MSME) emphasized the need for evolving additional market mechanisms like SME exchanges to meet the diverse capital needs of MSMEs and observed that modalities in this regard need to be worked out in detail. Ministry of MSME will meet smaller groups of stakeholders to work out the same. He also informed that in the coming months, Ministry of MSME will work in consultation with the Ministry of Finance & SEBI towards setting up vibrant and strong SME exchanges in the country. ■

Lean Manufacturing Competitiveness Programme for MSMEs

Introduction

The office of Development Commissioner (MSME) has just commenced implementation of Lean Manufacturing Programme (LMP) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) on a pilot basis. This programme is highly significant in relation to the productivity and competitiveness in MSME Sector. This Scheme is one of the ten components under the comprehensive National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP).

Objectives

The main objective of the Lean Manufacturing Programme is to enhance the manufacturing competitiveness for the MSMEs by applying Lean Techniques to identify and eliminate waste in the manufacturing process and also to streamline the system. The focus is on making improvement in the entire process flow, not improving only a few operations. Worker empowerment is also emphasized throughout the effort.

Scope

The Scheme has been initially launched for implementation in 100 mini clusters in the industries having potential for improvement in competitiveness and productivity. These 100 mini clusters (each a group of about 10 units) will be selected from different parts of the country and will undergo Lean interventions for approximately one year. During the end of first year, an Impact assessment study will be carried out for these 100 clusters and the outcome of the report will form the basis for the upscaling of this programme to cover another 300 - 500 clusters in subsequent years.

The Scheme

Under the Scheme, initially Office of Development Commissioner will organize awareness programme in different industry clusters to explain the benefits of Lean manufacturing. Thereafter, competent Consultants will be deployed to identify the cluster specific needs and will suggest specific lean techniques for intervention in the selected mini clusters. The purpose of lean techniques will be to assist MSME units in reducing their manufacturing costs through proper personnel management, better space utilization, scientific inventory management, improved process flows, reduced engineering time and so on. Lean Manufacturing Programme also brings improvement in the quality of products and lowers costs, which are essential for competing in national and international markets. The broad techniques envisaged under the scheme include Total Productive Maintenance (TPM), 5S, Visual control, Standard Operation Procedures, Just in Time (JIT), Kanban System, Cellular Layout, Poka Yoke, etc.

The larger enterprises in India have been adopting LMP to remain competitive, but MSMEs have generally stayed away from such techniques as they are not fully aware of the benefits. Besides, experienced and effective Lean Manufacturing Counselors or Consultants are not easily available and are quite expensive to engage for MSME units which have not seen the benefits/outcomes of such interventions.

As part of this Scheme, the Government of India will be contributing upto 80% of the Consultant fee while the remaining charges will have to be borne by the beneficiary units. The designated consultants for each cluster will also implement and monitor the application of Lean techniques throughout the year and submit periodic reports to the Development Commissioner (MSME).

Present Status

Scheme has been approved as a pilot project for implementation of Lean Techniques to initially cover 100 Mini Clusters. Guidelines of the scheme have now been approved (available on www.dcmsme.gov.in) and the scheme has become operational with the filed level activities commencing very shortly. National Productivity Council, New Delhi will be performing the role of National Monitoring and Implementing Unit under this Scheme. The Awareness Programme for explaining the benefits of Lean Manufacturing will be conducted shortly in various industry clusters in different parts of the country. ■

Small and medium pharma cos in US eye India for growth

R Ravichandran

With huge skill sets, R&D capabilities, IP protection and great value, India holds great potential for the US SME pharma companies to do business

Chennai, July 15: The US-based pharma and biotechnology companies, particularly small and medium enterprises (SMEs) numbering over 4,500, are looking at India for potential partnerships—either joint venture or acquisition or offshore outsourcing or sharing of tech know-how—to offset the possible dip in their overall business prospects over the years due to high production and marketing costs and lack of products.

"We see number of US companies, particularly that of small and medium pharma and biotech, looking at India to reduce their overall production cost, increase productivity, reduce cycle times, introduction of new therapies apart from capturing local markets," said Murali ...sarathy, managing director, ... a US-based pharma ...

technologies from bench to bed ... he said.

"Majority of these small US comp... have left with only a few products ... are not in great demand. With their ... survival at risk, these companies ... been forced to look at Indian com... for possible tie-ups, acquisitions ... ventures in different ... Parthasarathy pointed out.

...with huge skill sets, R&D capa... ...great value, Ind...

SME Exchange necessary, says Dinesh Rai

PNS ■ New Delhi

Advocating a dedicated, transparent and neutral SME exchange, Secretary, Ministry of Micro Small & Medium Enterprises Dinesh Rai said it will provide cost effective solutions to SMEs by reducing the IPO and compliance cost and without undervaluing the companies.

"MSMEs plays a huge catalytical role in the development process of our economy and funding the risk capital requirements of this sector through a vibrant SME Exchange model would help this sector which will eventually lead to higher governance standards in this industry," Rai said at the Conference on SME Exchange organized by industry body CII on Thursday.

MONEY / BANKING

SIDBI to raise $1 billion from global lenders

To provide refinance to banks against lending to small units

Priya Nair
K. Ram Kumar

Mumbai, July 10

...Small Industries Development Bank of India (SIDBI) plans to marshal $1 billion ...m multilateral financial institutions such as KfW (Germany), French Agency for Development (AFD), and Ja... International Co-operation Agency (JICA) so that ...s can lend more to micro, ...and medium enterprises (MSMEs).

SIDBI wants to channel the ...ces to pro... refi...nancing. It is also seeking to augment substantially its resource base as it expects banks to step up lending to the MSME sector. Banks had collectively lent around Rs 3,15,000 crore in FY2009 (Rs 2,00,000 crore in FY2008) to this sector.

According to the SIDBI Chairman and Managing Director, Mr R.M. Malla, "As a development financial institution, we are facilitating flow of credit to the MSME sector. While we are supporting ...

Mr R.M. Malla

...by them." SIDBI recently bor...

The repayment for the World Bank loan is structured such that SIDBI is able to retain the money for a longer period, Mr Malla said.

The financial institution is also in talks with the World Bank for yet another line of credit in the range of $200-300 million for on-lending to micro finance institutions.

Mr Malla pointed out that SIDBI's debt-equity ratio at 4:1 was perceived as a sign of strength ... bal...

...Whereas our actual debt is just Rs 26,000 crore," he said.

To take care of foreign currency fluctuations, SIDBI recently entered into a transaction with a leading public sector bank, whereby it placed the foreign currency equivalent of about Rs 500 crore (which was raised from a multilateral financial institution) as a deposit with the foreign branch of the bank. In turn, it avail...

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना

मंदी में मिला 'मित्र'

एमएसएमई की पहल

बेरोजगार युवाओं को 'उद्यमी मित्र' शुरू करवाएंगे रोजगार

मेट्रो संवाददाता

जयपुर, 2 जुलाई। मंदी के दौर में देश के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ने सूक्ष्म व लघु उद्यमियों (एमएसई) के लिए 'राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना' (आरजीयूएमवाई) शुरू की है। योजना का उद्देश्य एमएसएमई विकास संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय आदि औद्योगिक संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त व सामान्य युवाओं को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिलाकर स्वयं का रोजगार शुरू करवाना है।

'उद्यमी मित्र' करेंगे उद्धार

भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उद्यम शुरू करने से संचालित करने के दौरान आने वाली सभी तरह की कठिनाइयों में मार्गदर्शन के लिए एमएसएमई की ओर से प्रत्येक एमएसएमई विकास संस्थान में एक उद्यमी मित्र प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्था (ईडीआई), राष्ट्रीय लघु उद्योग, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के चयनित राज्य स्तरीय विकास संस्थान व उद्यमिता विकास केन्द्र, खादी व ग्रामोद्योग आयोग आदि को शामिल किए जाने की योजना है। राजस्थान में इस योजना के क्रियान्वयन व मार्गदर्शन के लिए 22

योजना में 10,000 से 25,00,000 रु. तक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ...

...जयपुर स्थित एमएसएमई विकास संस्थान में ... निदेशक एम.बी. माथुर को उद्यमी मित्र की ... सौंपी गई है।

शुरुआत के लिए सहयोग

एमएसएमई की ओर से निर्धारित संस्थानों से ... प्राप्त नए उद्यमियों को रोजगार शुरू करवाने ... सहायता राशि भी प्रदान करने की व्यवस्था है ... योजना में पंजीकरण के लिए सामान्य वर्ग के उद्यमियों के लिए शुल्क 1000 रुपए, जबकि एससी, विकलांग, महिला आदि उद्यमियों के ... संस्थान एमएसएमई की ओर से दिए जाने की योजना है।

लघु-मझोले उद्योग जुटाएंगे पूंजी बाजार से ध...

विशेष संवाददाता नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय, सेबी और लघु उद्योग मंत्रालय नया एक्सचेंज रूपरेखा बनाने में जुटे

वित्त मंत्रालय और सेबी के प्रयास सफल हुये तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के समांतर पूंजी हासिल करने के लिए लघु एवं मझोले उद्योगों का नया विकल्प हासिल हो जाएगा। वित्त मंत्रालय, सेबी और लघु एवं मझोले उद्योग मंत्रालय इन उद्योगों के लिए स्वतंत्र कैपिटल मार्केट एक्सचेंज स्थापित करने की कवायद में जुट गये हैं। इसके स्थापित होने के बाद लघु व मझोली औद्योगिक इकाइयां भी आरंभिक पब्लिक इश्यू (आईपीओ) बाजार में ला सकेंगी।

इस बारे में लघु उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव और लघु उद्योग विकास आयुक्त माधवलाल ने कहा कि फिलहाल इस दिशा में ठोस काम होने में वक्त लगेगा लेकिन हम वित्त मंत्रालय और सेबी के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी इस बात का फैसला होना बाकी है कि यह नया एक्सचेंज बांबे स्टॉक एक्सचेंज के एक अंग के रूप में स्थापित किया जाये अथवा स्वतंत्र रूप से। अधिकांश लोगों का इसे अलग से स्थापित करने... है। हम लघु एवं मझोले उद्यो... एक विशेषज्ञ समूह गठित कर... मामले को आगे बढ़ाना चाह... ताकि वह इसके नियमों को ... रूप देते समय व्यावह... दिक्कतों का ध्यान रखा जा ...

इस मौके पर लघु ... सचिव दिनेश राय ने कहा कि ... एक्सचेंज लघु इकाइयों ... जुटाने का नया विकल्प देगा... एक्सचेंज छोटी कंपनियों के ... आईपीओ की लागत भी ... एक्सचेंज के अस्तित्व में आ... से एक अहम फायदा यह हो... इस उद्योग क्षेत्र में उच्च ... मानदंड लागू हो सकेंगे ... उद्योग के काम में पारद... आएगी और प्रदर्शन भी ... वित्त मंत्रालय के संयुक्त ... डॉ.के.पी.कृष्णन ने कहा कि ... कैपिटल मार्केट से जोखि... जुटाने के मामले में सक्षम ... नीति का होना ...

कर्ज मिलेगा | असंगठित क्षेत्र को कर्ज मिलने में आ रही दिक्कतें दूर होंगी

छोटे उद्योगों के लिए 1000 करोड़ के फंड

एसएमई लिमि...

इस वित्त वर्ष में एक करोड़ ल... को रोजगार मिलने की उम्मी...

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक संकट के इस दौर में बड़ी तादाद में छंटनी की खबरों के बीच सरकार को चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण इलाकों में एक करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होने की उम्मीद है जिसमें अकेले खादी इकाइयों का योगदान 10 लाख नौकरियों का होगा। अति लघु, लघु एवं ... मंत्रालय की 2008-09 की वार्षिक रपट के मुताबिक ग्रामीण उद्योगों से उत्पादों क... फीसद बढ़कर 22,344 क... की उम्मीद है। रपट में ख... उत्पादों की बिक्री बीते ... करोड़ रुपए के मुकाबले ... बढ़कर 910 करोड़ रुपए ... लगाया गया है। (एजें...

ग्रामीण कारीगरों को समुचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए

– श्री राजेंद्र पारीक, उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार

श्री राजेंद्र पारीक, उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार से साक्षात्कार करते हुए हरीश आनंद, वरिष्ठ संपादक, लघु उद्योग समाचार एवं जयपुर विकास संस्थान में उप निदेशक आर.एस. प्रसाद

राजस्थान के औद्योगिक विकास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बारे में राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र पारीक महोदय से 'लघु उद्योग समाचार' के वरिष्ठ संपादक की भेंट वार्ता के चुनिंदा अंश :–

राजस्थान में औद्योगिक विकास और उसकी वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लगता है कि शीघ्र ही हम नई औद्योगिक नीति के माध्यम से परंपरागत उद्योगों के लिए शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाएंगे। उन्होंने पुरानी औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि प्रश्न प्रभावी नीति का नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है उसको प्रभावी रूप से लागू करना, वह भी समयबद्धता के साथ। केवल नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा–ज़िम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ताकि निवेशकर्ताओं को सहूलियत के साथ राज्य में उद्योग स्थापित करने में मदद मिल सके। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि कानूनी बाध्यता भी दूर हो, इसके वास्ते एक शीर्ष निकाय बनाने की आवश्यकता है। जहां हमारी प्राथमिकताओं में कानूनी अड़चनों को दूर करना शामिल है, वहीं तीन दिनों में एक ही स्थान पर सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए हम कृत संकल्प है।

राज्य के परंपरागत उद्योगों के बारे में चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि आम जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जागरुकता अभियानों की आवश्यकता है। भले ही, वह क्लस्टर विकास, ग्रामीण संस्कृति, स्थान विशेष उत्पाद और चयनित क्षेत्र हो, वहां पर अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। लघु उद्योगों के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे कारीगरों को मार्किटिंग की नयी तकनीक नहीं मालूम है। अत: उनको व्यावसायिक तौर पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नए डिजाइन और गुणवत्ता के लिए उन्हें अनुसंधानात्मक और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए।

राजस्थान की ब्रैंड इमेज के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बीकानेर का भुजिया इसलिए प्रसिद्ध है कि वह सिर्फ बीकानेर में ही बन सकता है। साथ ही वह आर्गेनिक भी है। कोटा डोरिया साड़ियां भी हमारे यहां ही बन सकती हैं और यह सब अब आई.पी.आर. (बौद्धिक संपदा) के तहत आ रहा है यानी इस ब्रैंड से कोई और इसे नहीं बना सकता।

बदलते औद्योगिक परिदृश्य और नयी चुनौतियों के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी प्रमुख प्राथमिकता है-ग्रामीण संस्कृति और परंपरागत उद्योगों को एक बड़े बाजार में तबदील करना। क्योंकि कारीगरों को नहीं मालूम उनका सामान कहां बिकेगा, पैकिंग कैसी होगी, उन्हें सही मूल्य मिलेगा या नहीं, नयी तकनीक से बेहतर डिजाइन कैसे बनेगा। इन समस्याओं को दूर करने में नया जयपुर की संकल्पना यदि पूर्ण होती है तो हम हॉट बाज़ार की तर्ज़ पर माल्स बनाएंगे ताकि एक ही स्थान पर हमारे उद्योगों को अपना सामान प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और विरासत भी संरक्षित होगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ रोज़गार के नए अवसर भी सृजित होंगे एवं ग्रामीण संस्कृति उद्योगों को सही वातावरण भी मिलेगा। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी औद्योगिक नीति समेकित एवं व्यावहारिक हो। एकल खिड़की की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे। किसी भी प्रकार के निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाये जायेंगे ताकि एक स्थान पर बैठकर निर्णय हो सके ताकि उद्यमियों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इधर–उधर न जाना पड़े। ■

राजस्थान में एम.एस.एम.ई. का विकास

पत्रिका के इस अंक में राजस्थान में- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्यमों के बारे में एक नजर में अधिक से अधिक महत्त्वपूर्ण जानकारी देने के लिए वरिष्ठ सम्पादक हरीश आनंद ने मनोहर कांत, उद्योग आयुक्त, राजस्थान सरकार से एक लम्बी बातचीत के दौरान राजस्थान के औद्योगिक विकास और उसके परिदृश्य को जानने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है सारगर्भित रिपोर्ट :

देश में राजस्थान क्षेत्र के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें 342 हजार स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र सम्मिलित है एवं इस राज्य की आबादी लगभग 5 करोड़ है। राज्य ने औद्योगिक विकास को त्वरितता प्रदान कराने के दृष्टिकोण से लागू की गई नीतियां, उत्पादक बढ़ाने तथा लघु, अतिलघु व कुटीर उद्योगों के संगठित विकास की व्यूह रचना तैयार करने के माध्यम से निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की एवं नए आयाम स्थापित किए। राज्य में 3.20 लाख लघु औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें 8888.21 करोड़ रु. का पूंजी निवेश हुआ है एवं 13 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य में उत्पादित वस्तुओं की दृष्टि से विविधता के बारे में मनोहर कांत, उद्योग आयुक्त, राजस्थान सरकार ने बताया कि उद्योगों में प्रमुखत: सिंथेटिक तथा सूती धागे एवं कपड़े, सिले सिलाए वस्त्र, सीमेंट, मार्बल व ग्रेनाइट स्लेब तथा टाईल्स, खाद्य तेल, केमिकल्स, रबड़ व प्लास्टिक उत्पाद, फर्टिलाईजर्स, इलैक्ट्रोनिक्स उत्पाद, सिरेमिक व ग्लास इत्यादि से संबंधित प्रमुख उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2007-08 में राज्य से लगभग 13,189 करोड़ रु. मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ है।

राज्य में पूंजी निवेश के बारे में उनका मानना है कि अनुकूल वातावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ते हैं जबकि हमारे राज्य में उद्योगों के लिए उच्च स्तर की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। जयपुर, भिवाडी, जोधपुर एवं भीलवाड़ा में इन्लैण्ड कंटेनर डिपो स्थापित एवं कार्यरत हैं। राजस्थान में सीतापुरा, जयपुर को पूर्णत: विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना का श्रेय प्राप्त है जिसके पश्चात् जोधपुर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना हो चुकी है जो कि तुरन्त कस्टम क्लीयरेंस सुविधा से सुसज्जित है। नीमराना में एक और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआइपी) की स्थापना की जा चुकी है एवं सीतापुरा, जयपुर फेज-प्रथम एवं द्वितीय व बोरानाडा, जोधपुर में तीन स्पेशल इकोनोमिक जोन क्रमश: जैम एण्ड ज्वेलरी तथा हैण्डीक्राफ्ट हेतु विकसित किए जा चुके हैं। किशनगढ़, सिलोरा (अजमेर), जयपुर एवं पाली में टैक्सटाईल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। कोटा, अलवर, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर में क्षेत्र सापेक्ष आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से कृषि आधारित व खाद्य संस्करण उद्योगों का राज्य में विकास करने हेतु फूडपार्क विकसित किए गए हैं जिसमें अबाधित विद्युत उपलब्धता, जल उपलब्धता, वेयरहाउस सुविधाएं, कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, गुणवत्ता नियंत्रण तथा विश्लेषण प्रयोगशालाओं जैसी अद्यतन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चौपांकी (अलवर) में ऑटो कम्पोनेंट जोन स्थापित किया गया है। आधारभूत एवं उत्पादन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्साहजनक प्रगति हुई है। रीको द्वारा 58,331 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर 315 औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए एवं उद्योगों हेतु 48,329 इकाइयों को भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. नाम से रीको एवं महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के संयुक्त तत्वावधान में मल्टप्रोडक्ट स्पेशल इकॉनोमिक जोन विकसित किया जा रहा है।

उद्योगों की स्थापना एवं संचालन हेतु एक स्थान पर स्वीकृतियां, क्लीयरेंसेज एवं आदान उपलब्ध कराए जाने हेतु 'रुल्स ऑफ बिजनेस' में संशोधन कर 'सिंगल विण्डो क्लीयरेंस' की व्यवस्था की गई है। इस प्रयोजन हेतु त्रिस्तरीय अधिकार

प्राप्त समितियों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत तीन करोड़ रुपए तक के विनियोजन के प्रस्ताव के बारे में स्वीकृतियां जारी करने हेतु कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। 3 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक विनियोजन के प्रस्तावों पर स्वीकृतियां जारी करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति एवं 25 करोड़ रुपए से अधिक विनियोजन प्रस्तावों पर स्वीकृतियां जारी करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट' (BIDI) का गठन किया गया है। इन समितियों के निर्णय समस्त विभागों पर बाध्यकारी हैं।

निवेश संबंधी कोई प्रोत्साहन योजना है, के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 लागू की गई थी। यह योजना राज्य में औद्योगिक उत्पाद, पर्यटन व अन्य सेवा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत निम्न सुविधाएं देय हैं – निवेश परियोजना हेतु प्राप्त की जाने वाली भूमि के पंजीयन पर देय मुद्रांक शुल्क तथा भूमि रूपान्तरण शुल्क से 50 प्रतिशत की छूट, डाक्यूमेंटेड ब्याज दर में से 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान, प्रोविडेंट फंड में अंशदान देने वाले कार्मिकों को भुगतान किए गए वेतन का 25 प्रतिशत वेतन अनुदान, 7 वर्षों के लिए विलासिता शुल्क से शत-प्रतिशत मुक्ति एवं 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क एवं मनोरंजन कर में 50 प्रतिशत की छूट। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान तथा विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट को समाहित करते हुए व्यापक सुविधापुंज उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की अवधि को बढ़ाकर मार्च 2011 तक किया गया है।

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में लघुत्तम, लघु उद्योगों के योगदान एवं कम पूंजी निवेश से अधिक रोजगार के अवसर सृजन करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एन्टरप्राइजेज के लिए एक पॉलिसी पैकेज जारी किया है। इस पॉलिसी पैकेज में उनके इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए

मनोहर कांत, उद्योग आयुक्त, राजस्थान सरकार से एम. एस. एम. ई. के विकास के बारे में जानकारी हासिल करते हुए हरीश आनंद, वरिष्ठ संपादक, लघु उद्योग समाचार

कर सम्बन्धी रियायतें, उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधारों के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट प्रयासों, संगठित रूप में इन इकाइयों के क्लस्टर में विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं के सृजन एवं उत्पादों के मार्केटिंग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। औद्योगिक उद्यमों/जांच प्रयोगशालाओं को वर्ष 2007 से 2011 के मध्य तक पेटेंट/आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर 2 लाख रु. अथवा शुल्क की 10 गुना राशि (जो भी कम हो) की सहायता का प्रावधान रखा गया है। उत्पाद, शोध विकास एवं जांच प्रयोगशाला स्थापित करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एसोसिएशन को डी.एल.सी. दर से 50 प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान रखा गया है तथा स्थापना लागत मूल्य का 2 करोड़ रु. की सीमा तक सहायता उपलब्ध होगी। उद्योग संघों द्वारा कॉमन इफयूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की स्थापना करने पर स्थिर पूंजी में 50 प्रतिशत का पुनर्भरण तथा रीको द्वारा प्रचलित डी.एल.सी. के 50 प्रतिशत की दर पर भूमि उपलब्धता का प्रावधान एवं लघु एवं मध्यम इकाइयों द्वारा इफयुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) की स्थापना के उपरांत यदि पुनर्चक्रित पानी का 80 प्रतिशत उपभोग किया जाता है तो स्थिर पूंजी का 50 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान पॉलिसी पैकेज में किया गया है। राज्य में स्थापित होने वाले नए लघुत्तम, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कच्चे माल प्रोसेसिंग मैटेरियल पर प्रवेश शुल्क से मुक्ति, केन्द्रीय बिक्रीकर 0.25 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र

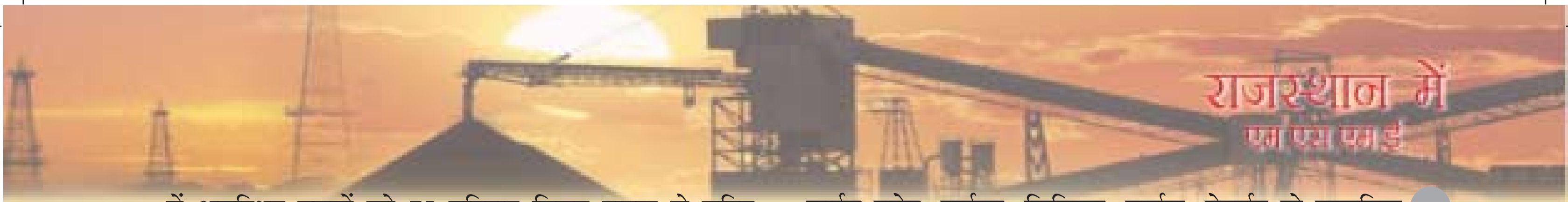

में अवस्थित उद्यमों को 75 प्रतिशत विद्युत शुल्क से मुक्ति, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा पोषित इकाइयों को कर मुक्ति का लाभ देय है।

अंत में उद्योग आयुक्त महोदय ने बताया कि राजस्थान में खनिज पदार्थ विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनके आबंटन की प्रक्रिया भी सरल की गई ताकि उन पर आधारित निवेश बढ़े। राज्य में जिंक, कॉपर, एस्बेस्टेस, सिल्वर, फेल्सपार, बालक्ले एवं रॉक फास्फेट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त लाईम स्टोन, माईका, सिलिका, मार्बल, ग्रेनाईट के प्राकृतिक भण्डार भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कृषि के मामले में राज्य सरप्लस स्टेट है। राजस्थान सरसों, सोयाबीन, जौ, मक्का एवं गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है, इसके अतिरिक्त मसाले यथा: धनियां, ईसबगोल, लाल मिर्च के उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखता है। इन संसाधनों पर आधारित उद्योग आसानी से विकसित किए जा सकते हैं। स्थानीय मांगों की संभावनाओं को देखते हुए प्लास्टिक, दवा, डाईस्टफ आदि उद्योगों की संभावना है।

राजस्थान के एम.एस.एम.ई. विकास का परिदृश्य

क्षेत्रफल	क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। क्षेत्रफल 342 हजार वर्ग किलोमीटर
आबादी	लगभग 5.00 करोड़
लघु एवं सूक्ष्म उद्योग	
संख्या	320000
रोजगार	13.00 लाख व्यक्ति
पूंजी निवेश	8888.21 करोड़ रुपए
वृहद एवं मध्यम उद्योग	270
प्रस्तावित निवेश	3214 **IEM** भारत सरकार को प्रस्तुत जिनमें 91396 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित
प्रमुख उत्पाद	सिन्थेटिक तथा सूती धागे एवं कपड़े, सीमेन्ट, सिले सिलाए वस्त्र, मार्बल व ग्रेनाइट स्लेब व टाईल्स, खाद्य तेल, कैमीकल्स, रबड़ व प्लास्टिक उत्पाद, फर्टिलाईजर्स, सिरेमिक व ग्लास, इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद, जैम एण्ड ज्वैलरी
कृषि उत्पाद	सरसों,सोयाबीन, जौ, मक्का, गेहूं, धनियां, ईसबगोल, मिर्च, जीरा, ग्वार, रेपसीड, चना, मोठ, बाजरा, कपास, मेंहदी एवं दालें
खनिज	जिंक, कॉपर, एजबेस्टोज, फेल्सपार, बालक्ले, रॉक फास्फेट, सिरेमिक, लाईम स्टोन, माईका, सिलिका, मार्बल, ग्रेनाईट, डोलोमाईट, सेण्ड स्टोन, कोटा स्टोन आदि
आधारभूत सुविधाएं	
1. औद्योगिक क्षेत्र (विकसित)	315 (48329 भूखण्ड)
2. इन्लैंड कंटेनर डिपो	जयपुर, भिवाड़ी, जोधपुर एवं भीलवाड़ा
3. निर्यात संबर्द्धन औद्योगिक पार्क **(EPIP)**	सीतापुरा, जयपुर, जोधपुर एवं नीमराना (अलवर)
4. टेक्सटाईल पार्क	किशनगढ़, सिलोरा (अजमेर), जयपुर एवं पाली
5. फूड पार्क	कोटा, अलवर, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर
6. तीन स्पेशल इकोनोमिक जोन **(SEZ)**	सीतापुरा (Phase I & II), जयपुर (जैम एण्ड ज्वैलरी), और बोरानाडा जोधपुर (हैण्डीक्राफ्ट)
7. ऑटो कम्पोनेंट जोन	चौपांकी (अलवर)

8. लेदर कॉम्प्लेक्स	मानपुर माचेड़ी (जयपुर)
9. मल्टप्रोडक्ट स्पेशल इकोनोमिक जोन	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. के नाम से रीको एवं महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के संयुक्त तत्वावधान में मल्टीप्रोडक्ट स्पेशल इकोनोमिक जोन विकसित किया जा रहा है

सहायता एवं सुविधाएं

1. सिंगल विण्डो क्लीयरेंस	राज्य सरकार ने रूल्स ऑफ बिजनेस में संशोधन कर त्रिस्तरीय समितियां गठित कर निम्नानुसार स्वीकृतियां जारी करने की शक्तियां प्रदत्त कर निम्न व्यवस्था लागू की है :- 1. 3.00 करोड़ रुपए तक के विनियोजन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी 2. 3.00 से 25.00 करोड़ रुपए तक के विनियोजन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी 3. 25.00 करोड़ रुपए से अधिक के विनियोजन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट' (BIDI)
2. निवेश प्रोत्साहन नीति-2003	यह नीति उद्योग, पर्यटन व अन्य सेवा क्षेत्रों में निवेश हेतु आरंभ की गई है जिसमें भूमि के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क तथा भूमि रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, डाक्यूमेंटेड ब्याज दर पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, वेतन का 25 प्रतिशत वेतन अनुदान, 7 वर्षों के लिए विलासिता शुल्क से शत प्रतिशत मुक्ति एवं 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क एवं मनोरंजन कर में 50 प्रतिशत की छूट आदि। यह योजना 2011 तक लागू है।
3. माईक्रो, स्माल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज के लिए पॉलिसी पैकेज	इस पैकेज में इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए कर संबंधी रियायतें, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के प्रयास, संगठित रूप में इकाइयों के क्लस्टर में विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं मार्केटिंग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जांच प्रयोगशाला स्थापित करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एसोसिएशन को डीएलसी दर से 50 प्रतिशत दर पर भूमि तथा स्थापना लागत मूल्य का 2.00 करोड रुपए की सीमा तक सहायता। उद्योग संघों द्वारा सीईटीपी की स्थापना करने पर स्थिर पूंजी का 50 प्रतिशत पुनर्भरण तथा रीको द्वारा प्रचलित डीएलसी दर की 50 प्रतिशत दर पर भूमि। कच्चामाल, प्रोसेसिंग मेटेरियल पर प्रवेश शुल्क से मुक्ति, सीएसटी 0.25 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत विद्युत शुल्क से मुक्ति एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा पोषित इकाइयों को कर मुक्ति आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

— उद्योग आयुक्त, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सामग्री से संकलित।

मददगार सिद्ध हुआ—एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान, जयपुर

बिमला देवी

राजस्थान में शाकम्भरी फूड के ब्रांड प्रोडेक्ट 'सास-बहू' के नाम से परिचित है। श्रीमती बिमला देवी अग्रवाल ने 6 वर्ष से पूर्व पहले सोचा भी न था कि उनके ब्रांड इतने मशहूर हो जायेंगे।

श्रीमती बिमला देवी अग्रवाल शेखावटी परिवार झूझनू के एक हलवाई परिवार से हैं। उन्हें तरह-तरह के नमकीन बनाने की महारत हासिल है। लेकिन उसे एक व्यवसाय में तबदील करने के बारे में वह अक्सर सोचा करती थी। उन्होंने आरंभ में भुजिया, दाल, खट्टा-मीठा मिक्चर घर पर बनाना इस आशय के साथ शुरू किया वे उसे स्थानीय बाज़ार में बेच लेगी। ठीक वैसा हुआ भी। उनके उत्पाद बाज़ार में थोड़े-बहुत चल निकले। शुरूआती तौर पर उन्होंने प्लास्टिक के बड़े-बड़े थैलों में इसकी आपूर्ति करनी शुरू की थी, पर वह बाज़ार के लिए न तो मुफीद थी और वह भी बिना नाम के। कोई लाभ न था। इस बीच उन्होंने 2003 में एम.एस.एम.ई.-जयपुर का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का विज्ञापन देखा जिसमें महिला उद्यमी भाग ले सकती थी। उन्होंने पहले पहल सोचा कि यह संस्थान क्या वास्तव में प्रशिक्षित कर अपना उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित कर पायेगा।

संस्थान में उनका संपर्क श्री वी.पी. शर्मा, सहायक निदेशक से हुआ जिन्होंने प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उद्योग स्थापित करने के बारे में सभी आवश्यक जानकारियों के अतिरिक्त उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। इस प्रकार श्रीमती बिमला देवी अपना उद्योग लगाने के लिए उत्प्रेरित हुईं। उन्होंने अपने ब्रांड से पहले पहल पूर्ण व्यावसायिक रूप से मठरी, नमकीन आदि को बाज़ार में प्रस्तुत किया। संस्थान ने उन्हें और प्रेरित करते हुए सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर में प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। कोर्स पूरा करने के बाद जयपुर के विकास संस्थान ने उन्हें रीको में औद्योगिक प्लाट आदि लेने को कहा। यहीं से बिमला देवी का निर्णायक दौर शुरू होता है। बिंदायका, जयपुर में उन्होंने रीको औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट लेकर शीघ्र ही अपना ब्रांड बाज़ार में उतार दिया। उन्होंने नमकीन को प्रसिद्ध करने में तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया - बाज़ार से पिसा हुआ बेसन न लेना, अपना ताजा मसाला पीसना और अनुपातिक ढंग से मिलाना। यह सब उन्होंने जयपुर संस्थान के अधिकारियों से बार-बार परामर्श करके किया। परिणामस्वरूप उनका ब्रांड बाज़ार में छाने लगा। अब उनके 40 से अधिक ब्रांड अलग-अलग नामों से मशहूर हैं जिसमें सास-बहू नमकीन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कुछ ही वर्षों में उनका टर्न ओवर 7 लाख से बढ़कर 3.5 करोड़ हो गया।

उनकी इस सफलता का राज क्या है, के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी फैक्टरी में आर.ओ. का पानी इस्तेमाल होता है, उनके पास परीक्षण की सुविधाएं भी मौजूद है, आई.एस.ओ. 2000-2005 भी है। अपने खास फ्लेवर को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता के लिए कोई समझौता नहीं। इसलिए वह इनका निर्यात करने में सक्षम रही और एम.डी.ए. स्कीम के तहत श्रीलंका में भी अपनी सफल प्रदर्शनी भी कर आयीं। लेकिन वह एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान, जयपुर के परामर्श और सहयोग का जिक्र करना नहीं भूलतीं।

-(प्रस्तुति : हरीश आनंद)

फीचर

एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान, जयपुर की नीतियां व कार्यक्रम

जी.एम. अम्बोरे
निदेशक
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान, जयपुर
22, गोदाम औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

संस्थान ने गत वर्ष अर्थात् वर्ष 2008-09 में महत्वपूर्ण कार्यक्रम व गतिविधियां आयोजित की। वर्ष के दौरान 46 उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम, 6 उद्यमिता विकास कार्यक्रम, 8 प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम, 17 कौशल विकास कार्यक्रम, 14 यांत्रिकशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम, 33 औद्योगिक अभिप्रेरणा शिविर, 5 व्यवसाय कौशल विकास कार्यक्रम तथा 2 वेण्डर डेवलपमेन्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए। इकाइयों को आई.एस.ओ. 9000 सब्सिडी का पुनर्भुगतान किया गया और 23 सूक्ष्म व लघु इकाइयों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु संस्तुत किया गया। इनके अलावा विभिन्न विषयों जैसे निर्यात हेतु पैकेजिंग, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, बार कोडिंग आदि पर 14 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वायर एण्ड केबल, रोलिंग मिल्स, जेम कटिंग एण्ड पॉलिशिंग, सी.आई. कास्टिंग्स, रेडिमेड गारमेंट्स तथा पैकेजिंग मटीरियल क्लस्टर्स विकास के लिये सॉफ्ट इंटरवेंशन कार्यक्रम आयोजित किए गए और हाई इंटरवेंशन के लिए दो प्रस्ताव तैयार किए गए। इन सभी कार्यक्रमों के अलावा भावी व विद्यमान उद्यमियों को क्रमशः स्वयं का उद्यम स्थापित करने व उद्यम में आ रही तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए संस्थान के विभिन्न विषय-विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसी प्रकार स्वयं का उद्यम स्थापित करने को इच्छुक उद्यमी को उद्यम के पंजीकरण से लेकर उसे ऋण सुलभ कराने तक सहायता करने के उद्देश्य से राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत संस्थान में उद्यमी मित्र प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। राज्य के विभिन्न स्थानों पर नए व विद्यमान उद्यमियों के लिए आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा इस अंक में समाविष्ट किया गया है।

आगामी वर्ष के दौरान भी संस्थान द्वारा ई.एस.डी.पी., एम.डी.पी., क्लस्टर विकास, एन.एम.सी.पी., सी.एल.सी.एस., आई.टी.एफ., आई.एस.ओ.-9000 पुनर्भुगतान, यांत्रिकशाला व परीक्षण केन्द्र आदि सुविधाओं व योजनाओं में राज्य के अधिकाधिक उद्यमियों को लाभान्वित करने की योजना प्रस्तावित है। आशा है कि हमारी इन सेवाओं का राज्य के ज्यादा से ज्यादा उद्यमी लाभ उठायेंगे।

संस्थान मुख्यतया निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराता है :-

परामर्श सेवाएं/मार्गदर्शन

इसके अंतर्गत कार्यरत इकाइयां और भावी उद्यमियों को तकनीकी, प्रबन्धकीय व विपणन सम्बन्धी सहायता के साथ-साथ नई इकाई प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी शामिल है।

उद्यमियों को निम्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन उपलब्ध है :

- उत्पादन की पहचान/चयन
- तकनीकी उत्पादन प्रक्रिया व तकनीक का चयन
- उचित मशीन व संयंत्र तथा कच्चे माल का चयन
- गुणवत्ता नियंत्रण व मानकीकरण
- उत्पाद संबंधी आर्थिक सूचनाएं
- बिक्री प्रबन्ध में सहायता

परियोजना प्रारूप/परियोजना रिपोर्ट

भावी उद्यमियों को नई इकाई स्थापित करने अथवा विद्यमान इकाई की गतिविधियों में विविधीकरण/विस्तार हेतु परामर्श व सहायता देने के लिए संस्थान तकनीकी रूप से सक्षम तथा आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नवीन उत्पादों के लिए योजना प्रारूप तैयार करने के साथ-साथ विद्यमान योजना प्रारूपों को

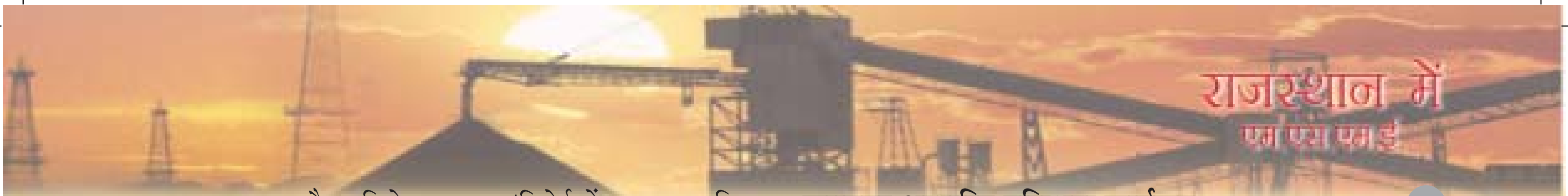

अद्यतन करता है। परियोजना प्रारूप/रिपोर्ट में सामान्यत: निम्न सूचनाएं शामिल की जाती है:

- उत्पादन की पहचान
- परियोजना का परिचय व उपयोग
- बाजार संभावना
- अनुमान आधार
- उत्पादन प्रक्रिया
- मशीन व उपकरण
- वित्तीय पहलू
- कच्चा माल, ऊर्जा व मानवशक्ति
- आर्थिक विश्लेषण
- प्रदूषण नियंत्रण व ऊर्जा संरक्षण
- कच्चे माल के विक्रेताओं के नाम-पते
- मशीन व उपकरण विक्रेताओं के नाम-पते

उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम

उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य उद्यमिता, गुणों से युक्त व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आधारभूत ज्ञान देकर स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम विभिन्न श्रेणियों जैसे शिक्षित बेरोजगार युवा अल्पसंख्यक समुदाय, महिला व समाज के अन्य कमजोर वर्ग आदि के स्व-रोजगार के लिए आयोजित किए जाते हैं। **उद्यमिता विकास कार्यक्रमों** की अवधि 20 दिन की तथा **उद्यमिता व कौशल विकास प्रशिक्षण** कार्यक्रमों की अवधि 6 सप्ताह की रखी गई है। कार्यक्रर्म सम्पूर्ण राज्य में आयोजित किए जाते हैं।

व्यवसाय कौशल विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग व पोलीटेक्नीक कॉलेजों के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उन्हें उद्यमी के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम सामान्यत: विद्यमान उद्यमियों के लिए उनके प्रबंधकीय कौशल में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इसमें मुख्यत: शामिल है :

विपणन प्रबंधन	उत्पादन प्रबंध
वित्तीय प्रबंधन	इन्वेंटरी प्रबंधन
गुणवत्ता प्रबंधन	बिक्री एवं विपणन तकनीक
इवेंट मैनेजमेंट	रिटेल मैनेजमेंट
निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन	

कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(क) कम्प्यूटर लैब

- ऑटो कैड/कैडकैम
- मैकेनिकल डैस्कटॉप (एम डी पी-5)
- सिसको नेटवर्किंग
- नेटवर्किंग एवं मल्टीमीडिया
- एम एस ऑफिस एवं टैली एकाउंटिंग
- सीएनसी मशीनों पर प्रोग्रामिंग व ऑपरेशन्स

(ख) केन्द्रीय यांत्रिकशाला

- मशीन शॉप प्रेक्टिस (6 माह)
- अल्पावधि के दक्षता विकास कार्यक्रम

आर्थिक/सांख्यिकीय सूचना सेवाएं

- क्षेत्रीय विकास संभावना सर्वेक्षण
- जिला औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण
- बाजार सर्वेक्षण
- थोक मूल्य सूचकांक आंकड़ों का संग्रहण
- उत्पाद के आरक्षण/अनारक्षण हेतु अध्ययन
- अखिल भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संगणना
- एम.एस.एम.ई. इकाईयों का नमूना सर्वेक्षण
- रुग्ण इकाइयों की सहायता एवं पुनर्वास
- नीतिगत मामलों पर सलाह/मार्गदर्शन
- बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा प्रदत्त सुविधाओं पर उद्यमियों का मार्गदर्शन

प्रौद्योगिकी स्रोत केंद्र

राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें अद्यतन प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु संस्थान परिसर में प्रौद्योगिक स्रोत केंद्र स्थापित किया गया है। अन्य देशों की नवीनतम तकनीक व देश के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर इच्छुक उद्यमियों को उपलब्ध कराने के लिए संस्थान इस केंद्र के माध्यम से सतत प्रयासरत है।

सहायक उद्योगों का विकास

- सरकारी उपक्रम/वृहद उद्योगों से ऐसे पुर्जों व अवयवों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए संपर्क करना, जिनकी आपूर्ति सूक्ष्म, लघु, व मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा की जा सकती है।
- एम.एस.एम.ई., इकाइयों के लाभार्थ वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करना।

उप-संविदा केंद्र

- एम एस एम ई इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन सुलभ कराने के लिए वृहद उद्योगों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के बीच संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा उप-संविदा केंद्र संचालित किया जाता है।
- सरकारी उपक्रम/वृहद उद्योगों की आवश्यकताओं की सूचना संकलित करना तथा आपूर्ति व निपटान महानिदेशालय, रेलवे, रक्षा, केंद्रीय/राज्य उपक्रमों से निविदा सूचना एकत्र कर विपणन क्षेत्र में सहायता हेतु एमएसएमई इकाइयों को अग्रेषित करना।

निर्यात संवर्द्धन

- निर्यात के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु उद्यमियों को प्रेरित करना एवं इस संबंध में दी जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहन योजनाओं से अवगत कराना।
- निर्यात संबंधी संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।
- निर्यात संबंधी संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।
- निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन पर प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

केंद्रीय यांत्रिकशाला में सामान्य सुविधा सेवाएं

संस्थान के समीप ही स्थित केंद्रीय यांत्रिकशाला पारम्परिक मशीनों के अलावा आधुनिक कम्प्यूटरीकृत मशीनों से सुसज्जित है, जहां निम्नलिखित मशीनों पर नाममात्र शुल्क पर सेवाएं उपलब्ध हैं :

- सीएनसी वायरकट मशीन
- ईडीएम स्पार्क इरोजन मशीन
- वर्टीकल मशीनिंग सेंटर-वीएमसी 400
- सीएनसी टर्निंग सेंटर (एचएमटी पुष्कर)
- एमटीआर मिलिंग मशीन, डी.आर.ओ. सहित
- यूनिवर्सल मिलिंग मशीन इत्यादि

परीक्षण सुविधाएं

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मान्य मानकों के अनुसार उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संस्थान के पास ही स्थित क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र में परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। परीक्षण सुविधाओं से इकाइयों में मानकीकरण के अलावा गुणवत्ता विकास की सुविधा मिलती है। केंद्र में निम्नलिखित परीक्षण सुविधाएं नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध है :-

- रंग व वार्निश
- खनिज सामग्री
- मृदा/मिट्टी
- कागज
- रासायनिक विश्लेषण
- लौह, अलौह व अन्य बहुमूल्य धातु
- सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमन, टार और अन्य निर्माण सामग्री

आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी की उन्नयन सेवाएं

- प्रौद्योगिकी उन्नयन/गुणवत्ता सुधार एवं आईएसओ, 9000/ऊर्जा संरक्षण व अपशिष्ट न्यूनीकरण पर कार्यक्रम आयोजित करना
- प्रदूषण नियंत्रण पर जागरुकता कार्यक्रम, सेमीनार, कार्यशाला आयोजित करना
- उद्योग का स्टेट्स अध्ययन
- क्लस्टर अध्ययन
- निर्यात पैकेजिंग पर कार्यक्रम आयोजित करना
- आधुनिकीकरण गतिविधियों का समन्वयन
- डब्ल्यूटीओ, आईपीआर तथा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करना

सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

क्लस्टर विकास कार्यक्रम

भारत सरकार की सूक्ष्म व लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना के तहत इस संस्थान ने विकास हेतु निम्नलिखित क्लस्टर्स का चयन किया है :-

- बियरिंग एवं बियरिंग कम्पोनेंट्स
- कोरुगेटेड बॉक्सेस - पैकेजिंग इण्डस्ट्री
- रेडिमेड गारमेंट्स
- वायर एंड केबल इण्डस्ट्रीज
- रोलिंग मिल एंड इण्डक्शन फरनेस
- सी आई कास्टिंग्स
- एचडीपीई एंड पीवीसी पाइप्स

संबंधित क्लस्टर इकाइयों को समस्त स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से अधिक उपयोगी बनाने हेतु सॉफ्ट व हार्ड इन्टरवेंशन्स क्रियान्वित किए जाते हैं। कुछ क्लस्टर्स राज्य सरकार द्वारा भी चयनित किए गए हैं, जिन्हें नियमित रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है।

आई एस ओ 9000/आई एस ओ 14001 प्रमाणीकरण प्रतिपूर्ति योजना

गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली आई एस ओ 9000/14001 प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की 75 प्रतिशत राशि अथवा रु. 75000/-, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट का अवलोकन करें, अथवा संस्थान से संपर्क करें।

एम.एस.एम.ई-विकास संस्थान का प्रशिक्षण कार्यक्रम बना प्रेरणा स्रोत

सुश्री ललिता गुप्ता, गंगानगर के एक मध्यम परिवार से आती हैं जिसमें व्यापार का न तो कोई अनुभव या परम्परा थी, यदि संकल्प था तो केवल अपना उद्योग स्थापित करने का। उन्होंने भी पारस शर्मा की तरह 2006 में समाचार पत्र में एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान, जयपुर का महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम का एक विज्ञापन देखा तो उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा हो सकता है। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में आभूषण अभिकल्पन से लेकर उसके निर्यात करने तक के बारे में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, जयपुर में तीन हजार महीने पर एक छोटी से दुकान से अपना काम करना शुरू किया। विकास संस्थान, जयपुर की मिली सूचनाओं के आधार पर उन्होंने आयोजित होने वाली सभी प्रदर्शनियों में एक फील्ड टेस्टिंग करने के हिसाब से उनमें हिस्सा लिया। जिससे उन्हें अपने बनाए गये माल की खूबियों और कमियों का पता चला। जिसको दूर करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम के समन्वयक श्री भोजराज से सम्पर्क बनाए रखा और उनके द्वारा प्रदत्त जानकारियों का लाभ उठाते हुए अपने उद्योग को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास किया।

श्रीमती ललिता गुप्ता

उन्होंने बड़े गर्व के साथ बताया कि एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मैं सभी महिलाओं को उत्प्रेरित करती हूं और अपना उदाहरण भी प्रस्तुत करती हूं कि किस प्रकार आज मैं ग्रहणी होने के साथ-साथ एक सफल उद्यमी भी हूं। ■

हम दूसरों को भी+रोजगार दे सकते हैं।

पारस शर्मा

26 वर्षीय पारस बी एस सी करके खाली बैठे थे, हां! उन्हें डिजाइनिंग का अच्छा खासा शौक था, खासकर ज्वैलरी डिजाइनिंग का। उनके परिवार में बिजनेस की कोई परम्परा नहीं थी। अतः उन्होंने 2004 में जब राजस्थान पत्रिका में एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान, जयपुर का एक माह का ज्वैलरी डिजाइनिंग के पाठ्यक्रम का विज्ञापन देखा तो उन्होंने बिना देरी किये उसमें यह सोचकर तुरन्त प्रवेश ले लिया कि वह नौकरी न करने स्थान पर अपना स्वयं का उद्योग लगायेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने ज्वैलरी डिजाइनिंग के बारे में वह तमाम बारीकियां सीखीं जो उन्हें पहले से नहीं मालूम था। फील्ड विजिट के दौरान उन्होंने ज्वैलरी के विभिन्न डिजाइनों को बनते हुए और उन्हें नगों में गढ़ते हुए व्यावहारिक रूप से देखा। जिससे उन्हें इन सब प्रक्रियों की जानकारी हुई। दिक्कतों को दूर करने के लिए कार्यक्रम के समन्वयक श्री अजय शर्मा से परामर्श भी किया। इस प्रकार पारस शर्मा ने विकास संस्थान से अन्य उद्यमिता पाठ्यक्रमों में भी हिस्सा लिया जिससे उन्हें मार्किटिंग, कच्चा माल, मशीनरी और निर्यात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुईं, जिसका उपयोग वह अब अपने रोजमर्रा के काम में लाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने डिजाइनिंग पर ध्यान दिया ओर 30-35 आभूषण निर्माताओं के लिए डिजाइन बनाएं। आभूषण बनाने के लिए चांदी के मास्टर (अर्थात् डाई) का प्रयोग किया जाता था। यह प्रक्रिया खर्चीली थी। उन्होंने चांदी के स्थान पर प्लास्टिक के मास्टर का प्रयोग करना आरंभ किया, जिसमें बचत भी थी। प्लास्टिक के यह मास्टर मुंबई में बनते थे। इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम जयपुर में प्लास्टिक के मास्टर का व्यावहारिक प्रयोग आरंभ किया। इसी प्रकार उन्होंने परम्परागत डिजाइनों में नवीनतम प्रयोगों का इस्तेमाल और उनका परस्पर मिलान करके ऐसे अद्भुत डिजाइन रच डाले जिनकी मांग विदेशों में होने लगी। इन प्रयासों से उन्हें विदेशों से 30 लाख रुपये के ऑर्डर मिले। अब उनका स्वयं का डिजाइनिंग स्टूडियो भी है। जिसमें 6 डिजाइनर और 10 कारीगर हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अपना रोज़गार लगाकर हम दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं।

इस प्रकार पारस शर्मा जयपुर के विकास संस्थान से अभी भी जुड़े हुए हैं और लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीखने की प्रवृत्ति से इनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनका कहना है कि संस्थान द्वारा दी गई सूचनाएं और प्रशिक्षण एवं अभ्यास उन्हें कुछ नया रच डालने के लिए अभी भी प्रेरित करता है।

-प्रस्तुतिः हरीश आनंद

लघु एवं मध्यम उद्यमों के परिप्रेक्ष्य में बजट का विश्लेषण

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 6 जुलाई को संसद में वर्ष 2009-10 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए वित्तीय मजबूती पर विकास को वरीयता दी गई है। बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों, कृषि, ग्रामीण विकास एवं आर्थिक सन्तुलन के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। वैश्विक मंदी के बीच देश की अर्थव्यवस्था में नई स्फूर्ति पैदा करने और समाज में आर्थिक सन्तुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया हैं।

बजट से पूर्व संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2008-09 में जहाँ 6.7 प्रतिशत की विकास दर, 37.7 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की बचत दर और 31.1 प्रतिशत की पूंजी निर्माण दर तथा 251 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा कोष जैसी अनुकूल स्थितियां हैं, वहीं 2.4 प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर और 1.6 प्रतिशत की कृषि विकास दर चिंता का विषय बनी हुई है।

वैश्विक मंदी से जूझने और सुस्त अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश का रास्ता साफ कर औद्योगिक सुस्ती समाप्त करने का प्रयास वित्त मंत्री ने बजट में किया है। मोटे तौर पर कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, थोड़ा-बहुत फेरबदल अप्रत्यक्ष कर ढांचे में किया गया है।

देश भर में एक समान अप्रत्यक्ष कर ढांचा लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्यों से विचार-विमर्श के बाद अगले वित्त वर्ष से माल एवं सेवा कर अर्थात् जनरल सेल्स टैक्स (जीएसटी) पूरे देश में लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने इसी संबंध में इसकी पूर्व पीठिका तैयार करते हुए कुछ वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने की घोषणा की है ताकि उत्पाद कर की दरों में एकरूपता लाई जा सके।

राज्यों के वित्त मंत्री माल एवं सेवा कर(जीएसटी) के मौलिक ढांचे पर सहमत हैं। जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से लागू करने के लिए अगले 9 माह में सरकार को इसके लिए संवैधानिक नीतिगत और संस्थागत सुधारों की जरूरत है। केन्द्र को विनिर्माण के स्तर से आगे कर लेने में सक्षम बनाने और राज्यों को सेवाओं पर कर लेने का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। सेवाओं पर राज्यों के साथ कर बंटवारे का समझौता, राजस्व तटस्थ दरों का निर्धारण, क्षतिपूर्ति का फार्मूला आदि कार्य सरकार को आगामी नौ महीने की समय सीमा के भीतर पूरा करना है।

माल एवं सेवा कर एक उपभोग आधारित कर है जो उत्पादन के हर स्तर पर लागू होगा। इससे कोई उत्पादक कच्चे माल के लिए जब कर का भुगतान करता है, तब वह तैयार उत्पाद पर लगने वाले कर से बच जाएगा। सरकार की योजना है कि उत्पाद कर, 'सेवा कर' और 'वैट' को मिलाकर ऐसी कंबाइंड मैकेनिज्म तैयार कद दी जाए जिससे उपभोक्ताओं को एक ही टैक्स देना पड़े। जनरल सेल्स टैक्स लाने का कारण यह है कि गुड्स और

डॉ. एस.के. गुप्ता
सहायक निदेशक (ई.आई.)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
नई दिल्ली-110020

सर्विसेज के क्लासिफिकेशन का झंझट खत्म हो जाए और उसकी जगह ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगे। इस कर का एक हिस्सा केन्द्र सरकार वसूलेगी और एक हिस्सा राज्य सरकार।

बजट में चार नई सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया है तथा सेवा कर से संबंधित मौजूदा कुछ विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

रेल द्वारा सामान की ढुलाई को सेवा कर के दायरे में लाया गया है। हालांकि ढांचागत सेक्टर से संबंधित सामान लाने ले जाने पर पूर्व की भांति छूट रहेगी।

सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बराबर सेवा कर पर लाने के लिए, कोस्टल गुड्स और शिप से होने वाली ढुलाई को भी सेवा कर के ढांचे में लाया गया है। इससे कुछ वस्तुओं की कीमतों में थोड़ी–बहुत बढ़ोतरी हो सकती है।

लीगल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी सेवा कर में शामिल किया गया है लेकिन यदि कहीं सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला कोई व्यक्ति है, वहाँ सेवा कर नहीं लगेगा। सेवा कर फर्म या कंपनी के मामलों में ही लगेगा।

ऐसे डॉक्टरों को सेवा कर के दायरे में लाया गया है, जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में डेंटल सर्जरी, चेहरे की सर्जरी जैसी सेवाएं शामिल होंगी। यदि किसी बीमारी या किसी दुर्घटना के चलते सर्जरी की जा रही है तो वह सेवा कर के दायरे में नहीं आएगी।

अब तक आईटी सॉफ्टवेयर (राईट टू यूज) पर उत्पाद और सेवा कर दोनों लगते थे। अब आईटी सॉफ्टवेयर पर केल सेवा कर देना होगा।

अब तक एक्पोर्टर्स को अपने सेवा कर का रिफंड क्लेम करने में परेशानी होती थी। अब सी.ए. के सार्टिफिकेट देने पर उन्हें अपना रिफंड आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा एम्सपोर्टर्स को ट्रांसपोर्ट सेवा लेते समय सेवा कर जमा कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

वैश्विक आर्थिक मंदी के संकट की मार झेल रहे निर्यातकों को राहत प्रदान करते हुए बजट में दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और बीमा कवर की अवधि बढ़ाकर 2010 तक कर दी गई है। हाथकरघा, हस्तशिल्प, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद सहित सात क्षेत्रों के लिए लदान–पूर्व ऋण पर ब्याज सब्सिडी अब 31 मार्च 2010 तक उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा लघु एवं मध्यम उद्योग के निर्यातकों के लिए भी उपलब्ध होगी। इस योजना की अवधि इस वर्ष सितम्बर में समाप्त हो रही थी।

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ई.सी.जी.सी.) की समायोजन सहायता स्कीम की अवधि भी बढ़ाकर मार्च 2010 तक कर दी गई है। सरकार ने इससे पहले ई.सी.जी.सी. के लिए 350 करोड़ रुपए की स्कीम की घोषणा की थी। साथ ही बाजार विकास सहायता योजना के लिए आबंटन चालू वर्ष के लिए 148 प्रतिशत बढ़ाकर 124 करोड़ रुपए कर दिया है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट पर इंकम टैक्स में डिडक्शन एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

बजट में उद्योग जगत की मांग को स्वीकार करते हुए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की गई है परन्तु कर्मचारियों को मिलने वाले स्टॉक आप्शन जैसे लाभ पर टैक्स का भुगतान करना होगा।

वित्त मंत्री ने 45 दिन में प्रत्यक्ष कर के लिए नई संहिता जारी करने की घोषणा की है, साथ ही सारे प्रत्यक्ष कर से सरचार्ज समाप्त कर दिए गए हैं। निवेश पर नई कर राहत योजना बनाने की घोषणा की गई है। 40 लाख तक के उद्योगों को अग्रिम कर रिटर्न से मुक्त किया गया है।

कारपोरेट सेक्टर पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिककर (मिनिमम अल्टर नेटिव टैक्स) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर के तहत टैक्स क्रेडिट को कैरी फारवर्ड करने की अवधि को सात वर्षों से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 4,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड गठित किया गया है। यह फंड रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आर.आई.डी.एफ.) को आबंटित फंड से गठित होगा। विशेष फेड, अधो संरचना कोष (आई.आर.डी. एफ.) से लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को देने की बात

कही गई है। बजट में कहा गया है कि 40 लाख तक के टर्न ओवर वाले छोटे कारोबारी टर्न ओवर का 8 प्रतिशत हिस्सा व्यवसाय से आय के रूप में अपनी आय घोषित कर सकते हैं।

उद्योग जगत की मांग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एस.टी.टी.) तथा लाभांश पर दिए जाने वाले लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) को समाप्त करने की भी थी। आर्थिक समीक्षा में भी इन करों को हटाने की सिफारिश की गई था लेकिन बजट में इनको नहीं हटाया गया है।

असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की छतरी मुहैया कराने के लिए बजट में 308 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2008-09 में इस मद पर 204 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। पूरी अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या 92 प्रतिशत है। सामाजिक सुरक्षा योजना में बुनकरों, मछुआरों, चमड़ा व हस्तशिल्प कामगारों, बागान कर्मियों, श्रमिकों, बीड़ी कर्मियों को भी शामिल करने की घोषणा की गई है।

बजट में वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के कदम के रूप में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडू राज्य में एक-एक हथकरघा मेगा कलस्टर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। जबकि राजस्थान राज्य में पावर लूम कलस्टर बनाने का प्रस्ताव है। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर में कालीन उद्योग के लिए दो मेगा कलस्टर बनाने की घोषणा भी की गई है।

बजट में माल परिवहर एजेंटों (जी.टी.ए.) को राहत दी गई है। बजट घोषणा के साथ ही लगभग 5,000 से अधिक माल परिवहन एजेंटों पर लंबित करीब 300 करोड़ रुपए के 'सर्विस टैक्स नोटिस' रद्द हो जाएंगे। इसके साथ ही सामान की पैकिंग, धराई-उतराई और वेयरहाउस जैसी सेवाओं को जी.टी.ए. की परिधि में लाया गया है। इसका सीधा अर्थ होगा कि इन सेवाओं पर 10 प्रतिशत की बजाय 2.5 प्रतिशत सेवा कर ही लगेगा। ट्रांसपोर्टरों और माल परिवहन एजेंटों ने जी.टी.ए. को सही संदर्भों में पारिभाषित करने और सेवा कर के नोटिस रद्द करने का स्वागत किया है।

बजट में ऑयल और गैस सेक्टर के उद्यमियों को भी राहत दी गई है। ऑयल एण्ड गैस सेक्टर में गैस को अभी तक हाइड्रो कार्बन नहीं माना जाता था लेकिन इस बार इसे भी हाइड्रो कार्बन के दायरे में लाते हुए इसे कई तरह की छूटों का फायदा दिया गया है। बजट में नई और अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए 500 किलोवाट से ज्यादा की क्षमता वाले पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जेनेरेटरों में काम आने वाले पर्मानेंट मेग्नेट पर सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

उत्पाद करों एवं सीमा करों में परिवर्तन

- कुछ दवाइयों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है और इनमें उत्पाद कर और सी.वी.डी. समाप्त की गई है।
- केवल प्रसारण और डी.टी.एच. में काम आने वाले सेट टॉप बॉक्स पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है। इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
- फुटवियर, स्पोर्ट्स गुड्स में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल सामग्री पर सीमा शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
- गोल्ड बार और सिक्कों पर प्रति 10 ग्राम में 100 रुपए सीमा शुल्क को बढ़ाकर 200 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।
- हृदय रोग के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर सीमा शुल्क और अन्य शुल्क समाप्त किए गए हैं।
- खाद्य वस्तुओं फार्मा, कलाकृतियों, प्रेशर कुकर, वाटर फिल्टर, वाटर पंप पर उत्पाद शुल्क 4 प्रतिशत किया गया।
- कृत्रिम कपड़े और धागों पर 8 प्रतिशत तथा सूती धागे पर 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव किया गया है। ■

कैसे लगायें अपना उद्योग ?

गैर वित्तीय सहयोग प्रणाली

युवा पीढ़ी रोजगार के अवसर तलाशने के स्थान पर यदि अपना उद्योग लगाने के लिए अपने समय का निवेश करें तो वह औरों को भी रोज़गार मुहैया करा सकती है।

भावी उद्यमी के लिए सूचना एक शक्ति का काम करती है जिसके पीछे सफलता छुपी हुई होती है। लघु उद्योग समाचार पत्रिका के 'अपना हाथ जगन्नाथ' कॉलम के ज़रिए हम भावी उद्यमियों के लिए 'कैसे लगायें अपना उद्योग'–जैसे ज्वलंत विषय पर इस धारावाहिक श्रृंखला का शुभारंभ इस आशय के साथ कर चुके हैं कि उद्यमी इन सूचनाओं का लाभ उठाते हुए अपना उद्योग स्थापित करने का उद्यम स्वयं करेंगे। हमारी कोशिश है कि उद्योग स्थापित करने के बारे में आपके प्रश्नों का समाधान यथासंभव इस कॉलम में नियमित रूप से किया जाए। अतः इस कॉलम पर अपनी प्रतिक्रिया तथा संबंधित प्रश्न हमें अवश्य भेजें। साथ ही, आगे पढ़ें .....

प्रस्तुति

हरीश आनंद

वरिष्ठ संपादक

हरेन्द्र प्रताप

संपादक

2.0 उद्देश्यों की जानकारी

उन संगठनों/संस्थानों की जानकारी जो गैर–वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं।

3.0 विषय–वस्तु

3.1 परिचय

वित्तीय सहयोग के अलावा, आप सरकारी विभागों/संस्थानों और अन्य सहयोगी संगठनों के जरिए कई अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक सहायता प्राप्त करते हैं। इनमें से सबसे अधिक मददगार संगठनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

3.2 राष्ट्रीय स्तर

3.2.1 एम.एस.एम.ई.–विकास आयुक्त

यह कार्यालय नीति निर्धारक, समन्वयक और निगरानी एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम–विकास संस्थानों और उनकी शाखाओं/क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, प्रोसेस सह–उत्पाद–विकास केन्द्रों, टूल रूम आदि के जरिए तकनीकी, प्रबंधकीय, आर्थिक और विपणन सहयोग सहित औद्योगिक विस्तार सेवाओं की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

3.2.2 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन.एस.आई.सी.)

यह निम्नलिखित कार्यों में सहयोग प्रदान करता है :–

- किराया खरीद आधार पर स्वदेशी और आयातित मशीनरी की आपूर्ति
- स्वदेशी और आयातित कच्चे माल की आपूर्ति और वितरण
- घरेलू और निर्यात से जुड़ी विपणन सहायता
- मशीनरी, उपकरणों के प्रोटोटाइप का विकास और अन्य सुविधाएं
- केन्द्र और राज्य सरकारों के क्रय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु इकाइयों का पंजीकरण
- महिला उद्यमियों तथा पूर्वोत्तर राज्यों की एम.एस.एम.ई. इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना
- सरकारी भंडार क्रय कार्यक्रम के लिए सक्षम लघु औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करना और भागीदारी में मदद देना
- परीक्षण, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण आदि की समान सुविधाएं

3.2.3 राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी)

यह नए और नवीनतम प्रोजेक्ट विचार/प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराता है।

3.2.4 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)

यह ग्रामीण जनसंख्या के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित ग्रामीण दस्तकारों को रियायती दर पर प्रशिक्षण और वित्त उपलब्ध करता है। के.वी.आई.सी. का के.वी.आई. बोर्ड और राज्य तथा जिला स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्रों का एक नेटवर्क है।

3.2.5 राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड्)

लघु उद्योग/व्यवसायों और उद्यमशीलता के विकास में संलग्न संस्थानों/एजेंसियों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने और उनकी गतिविधियों पर निगरानी

के लिए में नोएडा में स्थापित यह एक महत्वप्रर्ण संस्था है। यह इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करती है और इसके पास लिखित मैनुअल है तथा लाभार्थियों के लिए वीडियो फिल्में तैयार करती है।

3.2.6 अन्य संस्थान

प्रशिक्षण, जानकारी और अन्य सूचनाएं प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों की भी मदद ले सकते हैं:–

(i) राष्ट्रीय लघु उद्योग एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एन.आई.एस.आई.ई.टी.), हैदराबाद

(ii) भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान, अहमदाबाद

(iii) भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आई.आई.ई.), गुवाहाटी

3.3 राज्य स्तर

3.3.1 उद्योग निदेशालय (डी.आई.)

जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) के नेटवर्क के साथ यह निम्न प्रकार से सहायता उपलब्ध कराता है:–

- लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण
- कच्चा माल कोटा
- राज्य उद्योग सहायता अधिनियम के तहत वित्तीय मदद सेल्फ डिमांडिंग से अधिक कुछ भी कठिन नहीं है।

3.3.2 औद्योगिक और तकनीकी परामर्शी संगठन (टी.सी.ओ.)

- लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

3.3.3 उद्यमशीलता विकास केन्द्र (सी.ई.डी.)

कई राज्यों ने लघु उद्योग, लघु व्यापार और माइक्रो-इन्टरप्राइजेज स्थापित करने के लिए उद्यमशीलता/स्वरोजगार में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु बहुत से केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना की है। लाभार्थी यहां से प्रशिक्षण सूचना, मार्गनिर्देशन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

3.4 जिला स्तर

जिला स्तर पर लाभार्थियों के लिए जिला उद्योग केन्द्र (डी.आई.सी.) नोडल एजेंसी का काम करते हैं। वे सहायता हेतु आवेदन स्वीकार करते हैं, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और फार्म भरने में मदद करते हैं तथा बैंकों के जरिए ऋण उपलब्ध कराते हैं और लघु उद्यमों की स्थापना के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं।

4.0 उपयोगी प्रकाशन

1. गोल्डन जुबली सीरीज–प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स
2. मासिक लघु उद्योग समाचार

गैर–वित्तीय सहयोग प्रणाली

(क) वह एजेंसी बताएं जो निर्यात विपणन में सहायता प्रदान करती है :

(i) एन.आर.डी.सी.

(ii) डी.आई.सी.

(iii) एन.एस.आई.सी.

(iv) एम.एस.एम.ई.–विकास आयुक्त

(ख) इकाई का पंजीकरण कौन करता है :

(i) एम.एस.एम.ई.–विकास आयुक्त

(ii) एन.एस.आई.सी.

(iii) डी.आई.सी.

(iv) के.वी.आई.सी.

(ग) ग्रामीण दस्तकारों को गहन प्रशिक्षण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है?

(i) के.वी.आई.सी.

(ii) एन.एस.आई.सी.

(iii) एम.एस.एम.ई.–विकास आयुक्त

(iv) एन.आर.डी.सी.

उत्तर

(क) (ii), (iii) और (iv)

(ख) (iii)

(ग) (i)

उद्यम के क्षेत्र में कुछ भी कठिन नहीं है।

सहयोगी संगठनों का दौरा

सीखने योग्य बातें

सहयोगी संगठनों का दौरा करते समय अधिकतम जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया को समझना।

3.0 विषय-वस्तु

अब आप जान गए होंगे कि विभिन्न तरह की सहयता उपलब्ध कराने के लिए लघु उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की मदद हेतु संगठनों का एक वृहद नेटवर्क स्थापित किया गया है। इनको निम्न भागों में बांटा जा सकता है:-

- वित्तीय
- गैर-वित्तीय

आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इनमें से कुछेक संगठनों में ले जाया जाएगा। यह आपके हित में है कि आप इनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इन सहयोगी संस्थानों का दौरा करें। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है और आप किस प्रकार यह मदद हासिल कर सकते हैं।

3.1 आपको क्या सीखना है?

ये फील्ड दौरे कोई सैर-सपाटा नहीं होते बल्कि गम्भीर अध्ययन कार्यक्रम होते हैं। इन संगठनों के बारे में उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में आपको जानना चाहिए। जिन अधिकारियों से आप मिलें उनके कार्यालयों, नाम और पदनामों तथा टेलीफोन नम्बरों की जानकारी रखें। आप इनसे बाद में मिलना चाहेंगे तथा उनसे सम्पर्क स्थापित करना चाहेंगे।

3.2 कैसे सीखें?

विभिन्न तरह की जानकारी नोट करने के लिए नोटबुक और पेन ले जाना याद रखें। संगठन संबधी विवरणिका प्राप्त कर लें। इससे आपके कई तरह के संदेह दूर होंगे।

3.2.1 स्वतंत्र होकर प्रश्न पूछें

बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी रुचि दिखाएं और सुझाव दें। यदि आप महसूस करें कि आपको कुछ मदद लेनी है तो संगत फार्म तथा औपचारिकता संबंधी अन्य विवरण प्राप्त करें।

3.2.2 पतों को संभाल कर रखें

विजिटिंग कार्ड प्राप्त करना या सम्पर्क के पते और टेलीफोन नम्बर को नोट करना अपनी आदत बनाएं। आप अपना विजिटिंग कार्ड भी दे सकते हैं। यह आपके उद्यम के प्रचार के रूप में काम करेगा।

सहयोगी संगठनों का दौरा

(i) उन संगठनों की सूची बनाएं जिनका आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दौरा किया :

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

(ii) ऐसे संगठनों की सूची जिनका आपने स्वयं दौरा किया/दौरा किया जाना है :

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

(iii) जिन संगठनों का आपने दौरा किया है उनमें से ऐसा कौन-सा संगठन है जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है?

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

(iv) जिन संगठनों का आपने दौरा किया है उनमें से ऐसा कौन-सा संगठन है जो प्रोसेस की जानकारी, मशीनरी का ब्यौरा, उत्पाद डिजाइन आदि जैसी तकनीकी मदद प्रदान करता है?

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

(v) आप उन तीन अधिकारियों के नामों और पदनामों का उल्लेख करें जिनसे आपने सहयोगी संगठनों में मुलाकात की है।

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

(क्रमशः अगले अंक में)

पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि

श्री दिनशा जे. पटेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनशा पटेल ने दिनांक 21 जुलाई, 2009 को लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) नामक उस समय विद्यमान रोजगार सृजन कार्यक्रमों का विलय कर वर्ष 2008-09 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के लिए 250 करोड़ रुपए सहित कुल 4735 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजना परिव्यय सहित वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान लगभग 38 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए पूर्व के उपर्युक्त दो कार्यक्रमों की तुलना में उच्च स्तर की सब्सिडी वाला यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पीएमईजीपी खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक एकल नोडल अभिकरण के रूप में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक संविधिक निकाय है। राज्य स्तर पर, यह स्कीम केवीआईसी के राज्य निदेशालयों, राज्य संघ राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि पीएमईजीपी के तहत निधियों को वर्ष के लिए आंबटित राज्यवार लक्ष्यों के अनुसार जारी किया जाता है, जो कि मानदंडों के निश्चित समुच्चय के आधार पर किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण जनसंख्या की सीमा, पिछड़ापन, शहरी बेरोजगारी के प्रचलन, दक्षता और कच्चे माल की उपलब्धता, आरईजीपी जैसी स्कीमों में विगत निष्पादन के आधार पर किया जाता है। ■

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सूचना केंद्र

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में आसानी तथा उपलब्ध सूचना मुहैया कराने तथा बैंकों के साथ सीधे संवाद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एक 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सूचना केंद्र' स्थापित करेगा। यह केंद्र मंत्रालय की योजनाओं, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, सिडबी, एनएसआईसी इत्यादि के बारे में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देगा और किस प्रकार के उद्यमों को स्थापित किया जाए जिसमें एमएसएमईडी एक्ट के प्रावधान, उद्यम ज्ञापन भरने की प्रक्रिया भी शामिल है और बैंकों से संबंधित समस्याओं से निपटारा भी करेगा। ■

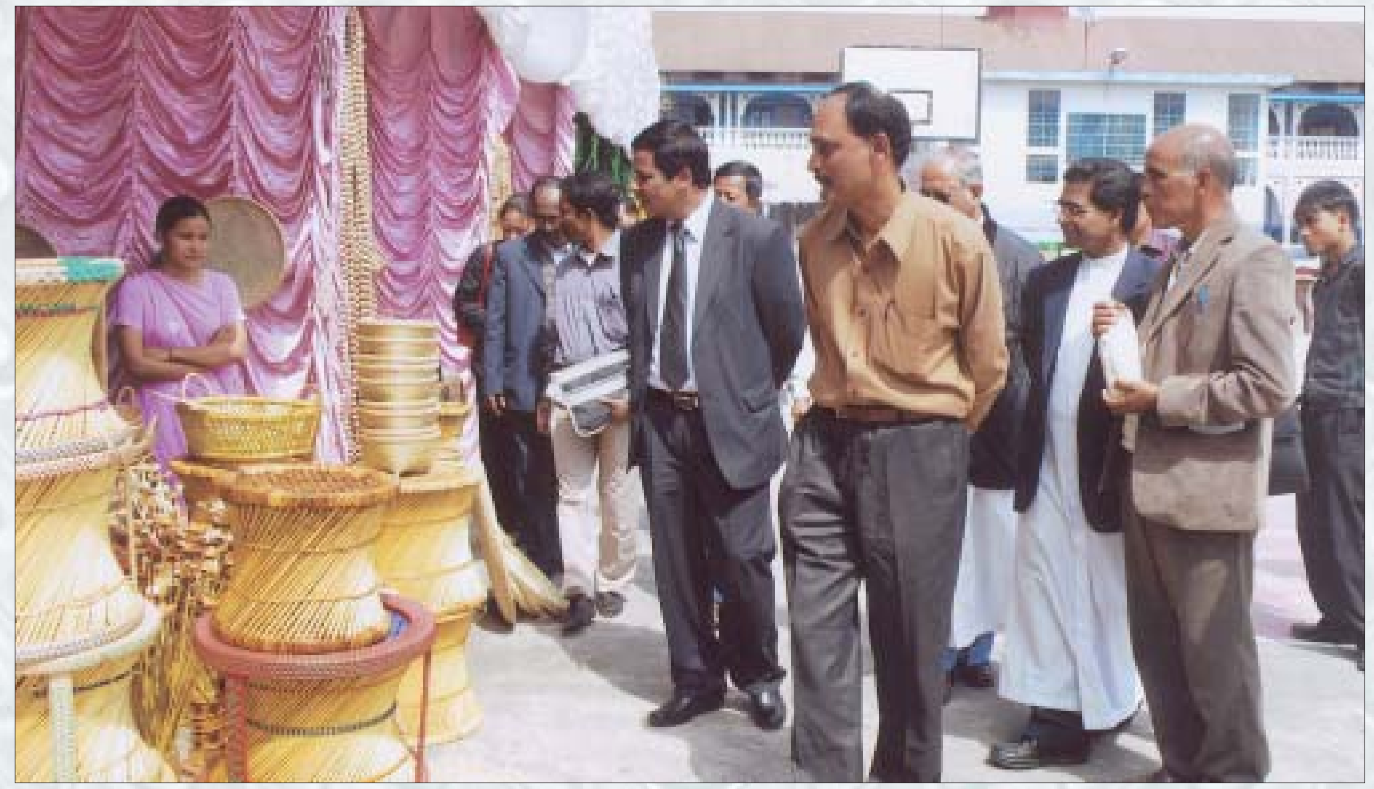

Shri W.M.S. Pariat, Addl. Chief Secretary (Industries),Govt. of Meghalaya visiting stalls with other dignitaries in a NVDP held at Don Bosco Technical School, Shilong.

Participants of BSDP are being explained about the tin sheet manufacturing in their industrial exposure. The programme was organised by MSME-DI, Agartala.

पंजी. सं. आर. एन. 28812/76
Regd. Number RN 28812/76

पंजी. सं. डी (डी) 580
Regd. Number D(D) 579

PDCSI.57.8.2009 (Bilingual)
2000

Published by The Development Commissioner, Micro, Small & Medium Enterprises, Nirman Bhavan, New Delhi-110108
Printed at Tara Art Printers Pvt. Ltd. B-4, Hans Bhavan, B.S. Zafar Marg, New Delhi-110002